[2022] 11 एस. सी. आर. 369

हिमाचल प्रदेश का राज्य

वी.

निर्मल कौर @निमो और अन्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 956)

20 अक्टूबर, 2022

[बी. आर. गवई और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -

एस। 2 (xvii) (a) और (b) और s। 15 - 'खसखस पुआल' खसखस पुआल 'के संबंध में दोषसिद्धि का अर्थ' अफीम खसखस 'के सभी हिस्सों के लिए परिभाषित किया गया है, सिवाय बीजों के-' अफीम खसखस 'को एस के खंड (xvii) के तहत परिभाषित किया गया है। 2 1985 के अधिनियम के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के अनुसार। 2 1985 के अधिनियम के अनुसार, 'अफीम खसखस' का अर्थ है 'पपर' प्रजाति का पौधा। सोम्निफेरम एल '-इसके उपखंड (बी) के अनुसार,' अफीम खसखस 'का अर्थ' पापावर 'की किसी भी अन्य प्रजाति का पौधा भी होगा जिसमें से

' अफीम 'या कोई भी' फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राप्त किया है।

1985 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'अफीम पोस्ता' घोषित किया गया क्या अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना पर्याप्त है कि कच्चे माल में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' है ताकि इसे इसके दायरे में लाया जा सके। एस के खंड (xvii) का उपखंड (ए)। 2 या अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि, हालांकि जब्त की गई सामग्री

इसमें 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है, जब्त की गई सामग्री का वंश 'पापावर सोम्निफेरम एल' या 'पापावर' की कोई अन्य प्रजाति है जिसमें से 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

सरकार को 1985 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'अफीम खसखस' होना चाहिए-उच्च न्यायालय की राय थी कि द्वारा किए गए परीक्षण

रासायनिक परीक्षक यह पता लगाने के लिए कि क्या 'मेकोनिक एसिड' और

' नमूना सामग्री में 'मॉर्फिन' मौजूद थे, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि सामग्री, वास्तव में, 'खसखस पुआल' थी-आयोजितः 1985 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले, यह केवल 'पैपवर सोम्निफेरम एल' पौधा था जिसे 1878 और 1930 के अधिनियमों की परिभाषा में शामिल किया गया था-1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के आधार पर, इसे बरकरार रखा गया है-हालांकि, यह देखते हुए कि 'पैपवर' की कुछ अन्य प्रजातियों का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, कुछ सामग्री थी।

विधायिका, एक प्रचुर सावधानी से, उप-खंड (बी) भी जोड़ा

एस के खंड (xvii) में। 2 1985 के अधिनियम की धारा ताकि केंद्र सरकार ऐसी प्रजाति को अधिसूचित कर सके जिससे 'अफीम' या कोई अन्य

' फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सकता है-विधायी इरादा स्पष्ट है कि 1985 का अधिनियम, प्रजातियों को बनाए रखने के अलावा

'अफीम खसखस' की परिभाषा में पैपवर सोम्निफेरम एल 'ने केंद्र सरकार को' पापवर 'की किसी भी अन्य प्रजाति को शामिल करने में सक्षम बनाया, जिससे' अफीम 'या कोई भी' फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सके-विधायी इरादा किसी भी अन्य प्रजाति को लाना है।

' 'पपैवर' जिसका उपयोग 1985 के अधिनियम के निषेधात्मक और नियामक प्रावधानों के भीतर 'अफीम' के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

यह स्थापित करने के लिए कि जब्त की गई सामग्री में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' है, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उप-खंड (ए) में परिभाषित 'पैपर सोम्निफेरम एल' पौधे से लिया गया है।

परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त किए गए 'खसखस के पुआल' से संकेत मिलता है कि

'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की सामग्री के लिए सकारात्मक परीक्षण, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) द्वारा कवर किया गया है और यह स्थापित करने के लिए आगे किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी कि जब्त की गई सामग्री का एक हिस्सा है

पापावर सोम्निफेरम एल '।

क़ानूनों की व्याख्या-हेडन/शरारत नियम-का अर्थ-चर्चा-चार कारकों को लागू करते समय विचार किया जाना चाहिए

नियम (i) अधिनियम के अधिनियमन से पहले की स्थिति (ii) शरारत और दोष जिनके लिए पहले के अधिनियमों में प्रावधान नहीं था (iii) उपचार (iv)

उपचार का कारण-आयोजितः एस के खंड (xvii) में उपखंड (ए) को शामिल करके विधानमंडल। 2 1985 के अधिनियम, जिसका उद्देश्य 'अफीम खसखस' की परिभाषा में 'पापावर सोम्निफेरम एल' को जारी रखना है-- हालाँकि, प्रचुर सावधानी बरतकर और स्थिति का ध्यान रखना।

जहां 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जाता था, वहां विधायिका ने केंद्र सरकार को निहित किया।

1985 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए 'अफीम खसखस' के अर्थ में ऐसी किस्म को शामिल करने की शक्ति के साथ-विधायिका द्वारा देखा गया दोष यह था कि, हालांकि 'पैपर सोम्निफेरम एल', जिसमें शामिल था

' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'और' अफीम 'के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता था, पहले से ही पहले के अधिनियमों में' अफीम 'की परिभाषा में शामिल किया गया था,' अफीम 'के उत्पादन के लिए' पैपवर 'की अन्य किस्मों का भी उपयोग किए जाने की संभावना थी, लेकिन यह हिमाचल प्रदेश का राज्य नहीं हो सकता था।

निर्मल कौर @निमो और अन्य

निषेधात्मक और विनियामक उपायों के तहत लाया गया-उपाय, जो संसद ने उप-उपायों को शामिल करके प्रदान किया था। एस के खंड (xvii) में खंड (बी)। 2 1985 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है।

जिनसे 'अफीम' या कोई अन्य फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सकता था, जिसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्य से' अफीम खसखस 'घोषित किया जाना था।

केंद्र सरकार 'पपेवर' की किसी भी अन्य प्रजाति को शामिल करेगी जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है और इसे 1985 के अधिनियम के दायरे में लाएगी-इसका कारण यह था कि यदि यह पाया जाता है कि 'पपेवर' की किसी भी प्रजाति का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी प्रजाति के उत्पादन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और

इसे 1985 के अधिनियम-नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत प्रदान किए गए निषेधात्मक और नियामक उपायों के तहत लाया जाए। धारा 2 (xvii) (a) और (b)-ओपियम अधिनियम, 1878-खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930।

विधियों की सार्थक व्याख्या

के सिद्धांत-आयोजितः कानून का तय सिद्धांत कि एक अधिनियम को इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को इस तरह से व्याख्या करने के बजाय आगे बढ़ाता है जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है-अधिनियम, 1985 का प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे को रोकना था इसलिए, जो व्याख्या अधिनियम, 1985 के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, उसे एक पांडित्यपूर्ण और यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

नशीली दवाओं की तस्करी की समस्याओं से निपटने के लिए, यह पाया गया पहले के पारित होने के बाद से एक नया कानून बनाने के लिए आवश्यक

तीन अधिनियम (अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930) थे।

एक अंतरराष्ट्रीय मंच और एक विशाल निकाय पर विकास

मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के माध्यम से विकसित हुआ था। भारत सरकार इन संधियों और सम्मेलनों का एक पक्ष रही थी जिसमें कई दायित्व शामिल थे जो [2022] 11 एस. सी. आर. नहीं थे।

पुराने अधिनियमों के अंतर्गत शामिल या केवल आंशिक रूप से शामिल थे। यह भी देखा गया कि पहले के अधिनियमों की योजना सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं थी

तस्करों से। यह भी देखा गया कि पुराने अधिनियमों के तहत प्रदान किया गया जुर्माना अपर्याप्त था। ध्यान में रखते हुए

यह कि देश पिछले कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या का तेजी से सामना कर रहा था, जिसने राज्य और केंद्र की सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की थीं, एक व्यापक कानून बनाना आवश्यक पाया गया। यह स्पष्ट है कि नए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाना था। इसलिए, जो व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, उसे पांडित्यपूर्ण और यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [पैरा 81] [411-जी-एच; 412-ए-सी]

2. यह पहले के अधिनियमों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त थी कि सोम्निफेरम एल 'पौधा' अफीम 'के उत्पादन का मुख्य स्रोत था। अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 ने भी इस स्थिति को मान्यता दी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

सम्मेलनों में भी इसे मान्यता दी गई। हालांकि 1953 के प्रोटोकॉल में पहली बार 'पापावर सोम्निफेरम एल' के अलावा, 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति, जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, को 'अफीम' की परिभाषा में शामिल किया गया था, 1961 और 1988 के बाद के सम्मेलनों ने फिर से 'अफीम खसखस' को 'पापावर सोम्निफेरम एल' के पौधे के रूप में परिभाषित किया। [पैरा 82] [412-डी-ई]

3. 1985 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले, यह केवल 'पापावर सोम्निफेरम एल' संयंत्र था जिसे की परिभाषा में शामिल किया गया था

1878 और 1930 के अधिनियम। 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के आधार पर, इसे बरकरार रखा गया है। हालांकि, यह देखते हुए कि यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री थी कि 'पापावर' की कुछ अन्य प्रजातियों का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, विधायिका ने बहुत सावधानी बरतते हुए, 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) में उप-खंड (बी) भी जोड़ा ताकि केंद्र सरकार ऐसी प्रजाति को अधिसूचित कर सके। कौन सा 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है। विधायी आशय स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अतिरिक्त 1985 का अधिनियम v.

निर्मल कौर @निमो और अन्य

'अफीम खसखस' की परिभाषा में 'पापावर सोम्निफेरम एल' की प्रजातियों को बनाए रखने से केंद्र सरकार को इसमें शामिल करने में मदद मिली

'पापावर' की कोई अन्य प्रजाति जिससे 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है। यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जानी है। विधायी इरादा 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को लाना है जिसका उपयोग 1985 के अधिनियम के निषेधात्मक और नियामक प्रावधानों के भीतर 'अफीम' के निर्माण के लिए किया जा सकता है। [पैरा 83] [412-जी-एच; 413-ए-सी] 4. यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना है, तो एक व्यक्ति जिसे के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है

1985 रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में 'मॉर्फिन' युक्त एक निषिद्ध सामग्री के साथ कार्य करना और उससे निपटना

और 'मेकोनिक एसिड', 1985 के अधिनियम के कड़े प्रावधानों से बच जाएंगे। उक्त बात कभी भी विधायिका की मंशा नहीं हो सकती थी। यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा और इसके उद्देश्य को विफल कर देगा। [पैरा 84] [413-डी]

5. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं ठहराया कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में यह स्थापित होने के बाद भी कि निषिद्ध में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' होता है, जब तक कि यह स्थापित नहीं किया गया था कि वही प्रजातियों से प्राप्त किया गया था

' 1985 के अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सका। [पैरा 88] [414-डी]

6. एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि जब्त की गई सामग्री में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' होता है, तो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त होगा कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उप-खंड (ए) में परिभाषित 'पैपर सोम्निफेरम एल' पौधे से लिया गया है।

[पैरा 89] [414-ई]

7. उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करना भी उचित नहीं माना कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, वैकल्पिक रूप से, होनी चाहिए।

यह स्थापित करें कि जब्त की गई सामग्री किसी अन्य प्रजाति का हिस्सा है

' पेपवर 'जिसमें से' अफीम 'या कोई' फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सकता है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है

1985 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए 'अफीम' के रूप में सरकार। यह समझने में कोई विफल है कि एक रासायनिक परीक्षक से कैसे पूछा जा सकता है कि क्या जब्त की गई सामग्री [2022] 11 एस. सी. आर. की किसी अन्य प्रजाति का हिस्सा थी।

' पपैवर 'जिसमें से' अफीम 'या कोई अन्य' फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड 'निकाला जा सकता है जब' पपैवर 'की ऐसी कोई प्रजाति नहीं होती है।

जिसे केंद्र सरकार द्वारा 'अफीम' के रूप में अधिसूचित किया गया है 1985 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए 'खसखस'। [पैरा 90] [414-एफ-एच]

8. एक बार जब एक रासायनिक परीक्षक यह स्थापित करता है कि जब्त किया गया 'खसखस का पुआल' सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है

' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड ', यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) द्वारा कवर किया गया है और यह स्थापित करने के लिए आगे किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी कि जब्त की गई सामग्री' पैपर सोम्निफेरम एल 'का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि जब्त किए गए 'खसखस के भूसे' में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की सामग्री पॉजिटिव पाई जाती है, तो 1985 के अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। [पैरा 91] [415-ए-बी]

बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड v. राज्य का

केरल राज्य बनाम। मथाई वर्गीज और अन्य (1986) 4 एस. सी. सी. 746: [1987] 1 एस. सी. आर. 317; बलदेव कृष्ण साही बनाम। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एक अन्य (1987) 4 एससीसी 361: [1988] 1 एससीआर 168; संजय दत्त बनाम। सी. बी. आई., बॉम्बे (II) (1994) 5 एस. सी. सी. 410 के माध्यम से राज्यः [1994] 3 पूरक। एससीआर 263; बलराम कुमावत बनाम। भारत संघ और अन्य (2003) 7 एस. सी. सी. 628: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 24; स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य बनाम।

प्रवर्तन और अन्य निदेशालय (2005) 4 एस. सी. सी. 530 [2005] 1 पूरक। एससीआर 49; हीरा सिंह और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2020) 20 एस. सी. सी. 272 और ई. माइकल राज बनाम। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (2008) 5

एससीसी 161: [2008] 4 एस. सी. आर. 644-निर्भर।

अमरसिंह रामजिभाई बारोट बनाम। गुजरात राज्य (2005) 7 एस. सी. सी. 550; एम. पी. और अन्य राज्य बनाम राम सिंह (2000) 5 एससीसी 88: [2000] 1 एस. सी. आर. 579; स्वंत्राज और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1975) 3 एससीसी 322: [1974] 3 एस. सी. आर. 287; एन. ई. पी. सी. माइकॉन लिमिटेड और अन्य बनाम। मैग्मा लीजिंग लिमिटेड (1999) 4 एससीसी 253:

[1999] 2 हिमाचल प्रदेश राज्य v. निर्मल कौर @निमो और अन्य

441 : [2011] 5 एस. सी. आर. 691-संदर्भित। बैद्यनाथ मिश्रा और एक अन्य वी। उड़ीसा राज्य

1968 (XXXIV) कटक लॉ टाइम्स-I 5; हाथी @

मंगलसिंह रामदयाळजी बनाम। गुजरात राज्य 1992 एस. सी. सी.

ऑनलाइन गुज 311; राजीव कुमार उर्फ गुगलू बनाम। की स्थिति

एच. पी. 8 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 120 और स्टेट ऑफ एच. पी. v.

देस राज 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 371-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

005) 7 एससीसी 550

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

000] 1 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

974] 3 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

999] 2 एससीआर 932

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

011] 5 एससीआर 691

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

955] 2 एससीआर 603

पीछा किया।

पैरा

53

उस पर भरोसा करें

987] 1 एससीआर 317

पैरा

67

988] 1 एससीआर 168

उस पर भरोसा करें

पैरा

69

994] 3 पूरक। एससीआर 263

उस पर भरोसा करें

पैरा

71

003] 3 पूरक। एससीआर 24

उस पर भरोसा करें

पैरा

75

005] 1 पूरक। एससीआर 49

पैरा

77

उस पर भरोसा करें

पैरा

79

020) 20 एससीसी 272

उस पर भरोसा करें

008] 4 एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पैरा

79

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक ऐप

5.956 2012 से।

उच्च न्यायालय के 02.11.2007 दिनांकित निर्णय और आदेशों से

हिमाचल प्रदेश, शिमला, सी. आर. एल. ऐप. 2004 का No.525।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., अभिनव मुखर्जी, ए. ए. जी., नीरज जैन, सीनियर ए

. परमेश्वर, (न्यायमित्र), एम. वी. मुकुंद, सुश्री.एगुरूप्रिया, सुश्री आरती गुप्ता, सुश्री बिहू शर्मा, अक्षय सी. श्रीवास्तव एस. प्रतिष्ठा विज, नकुल चेंगप्पा के. के., आर. नेदुमारन, जी. एना

· ल्वम, अरिजीत सिंह, सुश्री हेमा, राजेंद्र, ऋषभ साहू, सी. एल. सा. [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अविजीत मणि त्रिपाठी, सुश्री निधि, सार्थक अरोड़ा, मोहित गिरधर, संजय सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 14 अगस्त 2018 के आदेश के माध्यम से विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए हैं:

क्या प्रजातियों को विशिष्ट बनाना आवश्यक है

((i)

बरामद प्रतिबंधित-खसखस की भूसी, खसखस का पुआल आदि।

जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि क्या बरामद किया गया था

((ख)

क्या खसखस के भूसे का नमूना था और क्या अभियोजन पक्ष के लिए यह दिखाने के लिए सामग्री लाना आवश्यक है कि प्रतिबंधित पदार्थ की कौन सी प्रजाति बरामद की गई थी?

2. चूंकि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर का नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक के तहत कई मामलों पर असर पड़ता है।

पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद "1985 अधिनियम" के रूप में संदर्भित), इस न्यायालय ने 14 अगस्त 2018 के अपने आदेश के माध्यम से वरिष्ठ वकील (जैसा कि वे तब थे) श्री पी. एस. नरसिम्हा से न्यायमित्र के रूप में अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया था। विद्वान वकील श्री के. परमेश्वर से श्री पी. एस. नरसिम्हा की सहायता करने का अनुरोध किया गया था। माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. एस. नरसिम्हा की पदोन्नति पर, श्री परमेश्वर ने इस न्यायालय की सहायता करना जारी रखा।

न्यायमित्र।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः

3. 25 जुलाई 2003 को जब सरबजीत सिंह (पीडब्लू-12) कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ ऊना के हरोली में गश्त पर थे

जिले में, कांस्टेबल उपनेश कुमार (पीडब्लू-1) ने उन्हें सूचित किया कि प्रतिवादी-आरोपी 'खसखस के भूसे' के अवैध व्यापार में लिप्त था और उसने उस कमरे में बड़ी मात्रा में 'खसखस के भूसे' को रखा था जहां मवेशियों के लिए चारा रखा गया था।

4. 1985 के अधिनियम के तहत निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, एक छापा मारने वाले दल का गठन किया गया और प्रतिवादी के परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, 20 किलोग्राम का एक थैला मिला। खसखस का

चारा जमा करने के लिए बने कमरे में 'भूसी' पाई गई थी। 250 ग्राम वजन के दो नमूनों को अलग किया गया और सील कर दिया गया। प्रतिवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हिरासत में रहते हुए, प्रत्यर्थी ने एक खुलासा बयान दिया कि उसने हिमाचल प्रदेश राज्य के 'खसखस की भूसी' के नौ और बोरे छिपाए थे।

निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

गुरुद्वारा गिरगीरगा साहिब के पास खाद के किनारे। तदनुसार, आठ बोरे जिनमें से प्रत्येक में 40 किलोग्राम होते हैं। खसखस की भूसी और 30 किलोग्राम का एक थैला। खसखस की भूसी बरामद की गई। इनमें से प्रत्येक नौ थैले, दो नमूने, जिनमें से प्रत्येक का वजन 250 ग्राम था, अलग किए गए और अलग-अलग पार्सल में सील कर दिए गए।

जाँच के दौरान, प्रतिवादी पर 'खसखस पुआल' की वाणिज्यिक मात्रा रखने के लिए 1985 के अधिनियम की धारा 15 (सी) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। प्रतिवादी ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और दावा किया कोशिश करने के लिए। मुकदमे के समापन पर, निचली अदालत ने प्रतिवादी को दोषी पाया और दोषी ठहराया और उसे दस साल के लिए कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई, और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, दो साल की और अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई।

6. प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 525 के रूप में एक अपील दायर की। सुनवाई के दौरान, उच्च

अदालत की राय थी कि रासायनिक परीक्षक द्वारा यह पता लगाने के लिए किए गए परीक्षण कि क्या नमूने में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' मौजूद थे, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि सामान, वास्तव में, 'खसखस पुआल' था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने रासायनिक परीक्षक को अदालत के गवाह के रूप में तलब किया। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि रासायनिक परीक्षक द्वारा यह पता लगाने के लिए किए गए दो परीक्षणों में कि क्या नमूनों में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' है, यह इंगित नहीं करता है कि जांच की गई सामग्री में 'पैपवर सोम्निफेरम एल' की प्रजाति के पौधे के हिस्से या 'पैपवर' के किसी अन्य टुकड़े का पौधा शामिल था जिससे 'अफीम' या कोई अन्य 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार ने 'अफीम खसखस' के उद्देश्यों के लिए अधिसूचित किया था।

1985 एक्ट करें। अतः उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों परीक्षण यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो सकते हैं कि प्रत्यर्थी से बरामद सामग्री,

रासायनिक परीक्षक द्वारा जिस नमूने का विश्लेषण किया गया था, वह 'खसखस का पुआल' था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष 1985 के अधिनियम के अर्थ के भीतर नमूने को 'खसखस के भूसे' का साबित करने में विफल रहा था और इसलिए, प्रतिवादी दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं था और

1985 के अधिनियम की धारा 15 के तहत वर्णित और दंडनीय अपराध के लिए सजा। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर 2007 के विवादित फैसले के माध्यम से अपील को स्वीकार कर लिया और [2022] 11 एस. सी. आर. को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. अपील के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने पाया कि उपरोक्त मुद्दे पर विचार के लिए कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए। 6 फरवरी 2019 के इस न्यायालय के बाद के आदेश के अनुसार, भारत संघ को अपने सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से दूसरे प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था।

प्रस्तुतियाँः

9. हमने भारत संघ के लिए विद्वान न्यायमित्र श्री के. परमेश्वर और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में, "ए. एस. जी".) श्री के. एम. नटराज को भी सुना है। 10. श्री मुखर्जी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है। विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया कि के अनुच्छेद 47 के तहत

भारत के संविधान के अनुसार, राज्य मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि 1985 का अधिनियम न केवल संवैधानिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सम्मान करने के लिए भी बनाया गया है।

11. विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न परिभाषाएँ हैं

1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xv), (xvi), (xvii) और (xvii) के तहत 'अफीम', 'अफीम व्युत्पन्न', 'अफीम खसखस' और 'खसखस भूसे' के लिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि 1985 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत दिए गए किसी नियम या आदेश या लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करता है, तो उत्पादन करता है, रखता है, परिवहन करता है, अंतर-राज्य आयात करता है, अंतर-राज्य निर्यात करता है, बेचता है,

खसखस के पुआल की खरीद, उपयोग या गोदाम में छूट, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है या दोनों से, या दस साल तक की अवधि के लिए और जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक बढ़ सकता है, या ऐसी अवधि के लिए जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकती है।

बीस वर्ष और जुर्माना जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य v।

'खसखस पुआल' की मात्रा के आधार पर यह दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, 1985 के अधिनियम की धारा 17 और 18 क्रमशः 'तैयार अफीम', 'अफीम खसखस' और 'अफीम' के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा से संबंधित है। विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया

कि उच्च न्यायालय ने अमरसिंह रामजिभाई बारोट बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर गलत तरीके से भरोसा किया है। गुजरात राज्य 1. उन्होंने कहा कि उक्त मामले में शामिल मुद्दा पूरी तरह से अलग था।

12. श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय विज्ञान और संचार संस्थान, सी. एस. आई. आर., नई दिल्ली ने "वेल्थ ऑफ इंडिया" नामक पुस्तक के अपने पहले पुनर्मुद्रण में, जो भारतीय कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों का एक शब्दकोश है, 1966 (जिसे इसके बाद "1966 शब्दकोश" के रूप में संदर्भित किया गया है), 'पापावर' की छह प्रजातियों का उल्लेख करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त प्राधिकरण के अवलोकन से पता चलेगा कि 'पापावर सोम्निफेरम एल' की खेती 'अफीम' के मुख्य स्रोत के रूप में की जाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह केवल 'पापावर सोम्निफेरम एल' है जिसमें एल्कलॉइड 'मॉर्फिन' और 'कोडीन' होते हैं। श्री मुखर्जी ने प्रस्तुत किया कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, 1998 (इसके बाद "1998 नियमावली" के रूप में संदर्भित) द्वारा उपयोग के लिए अपनी नियमावली में "अफीम", "मॉर्फिन" और "हेरोइन" के परीक्षण के तरीकों की सिफारिश की है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा किए जाने वाले दो परीक्षण एकमात्र ऐसे परीक्षण हैं जिनकी सिफारिश संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है। विद्वान ए. ए. जी. ने आगे प्रस्तुत किया कि फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने "कार्य प्रक्रिया नियमावलीः वर्ष 2021 में "मादक पदार्थ" (इसके बाद "2021 नियमावली" के रूप में संदर्भित)। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त नियमावली में वे परीक्षण शामिल हैं जो 'अफीम/कच्चे मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किए जाने की आवश्यकता है। विद्वान।

एएजी ने प्रस्तुत किया कि 'पापावर सोम्निफेरम एल' एकमात्र प्रजाति है जिसमें 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि ये दो परीक्षण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि प्रजातियां 'पैपर सोम्निफेरम एल' से संबंधित हैं और इस तरह, 1985 के अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय नहीं है, कानून का सही प्रस्ताव नहीं देता है।

13. श्री मुखर्जी एम. पी. राज्य और अन्य बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर हैं। राम सिंह 2, स्वंत्राज और अन्य बनाम।

2 (2000) 5 एससीसी 88 3 (1975) 3 एससीसी 322 [2022] 11 एस. सी. आर.

14. श्री जैन ने कहा कि चूंकि 1985 के अधिनियम के प्रावधान प्रकृति में बहुत कठोर हैं, इसलिए न्यायालय को क़ानून की सख्त व्याख्या के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के तहत दी गई 'अफीम खसखस' की परिभाषा दो भागों में है। उन्होंने कहा कि 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के अनुसार, 'अफीम खसखस' का अर्थ है 'पैपवर सोम्निफेरम एल' प्रजाति का पौधा, जबकि इसका उपखंड (बी) केंद्र सरकार को 'पैपवर' की किसी भी अन्य प्रजाति को अधिसूचित करने का अधिकार देता है जिससे 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक 'पापावर' की कोई अन्य प्रजाति जिसमें से 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक यह नहीं किया जा सकता है। 1985 के अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'अफीम' माना जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं करता कि जब्त की गई सामग्री का वंश 'पापावर सोम्निफेरम एल' की एक प्रजाति थी, तब तक दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अन्य वकीलों ने श्री जैन द्वारा प्रस्तुत दलीलों को स्वीकार किया है।

15. विद्वान ए. एस. जी. श्री नटराज ने यह भी कहा कि 1985 के अधिनियम के बाद से यह दंडात्मक और लाभकारी दोनों है।

एन. ई. पी. सी. माइकॉन लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। 16. विद्वान न्यायमित्र श्री परमेश्वर ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में निम्नलिखित तीन मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं:

(1)

जब क़ानून केवल एक प्रजाति की पहचान निषिद्ध के रूप में करता है सामग्री और जब विधायिका किसी अन्य प्रजाति को अधिसूचित करने के लिए इसे केंद्र सरकार के लिए खुला छोड़ देगी, तो यह नहीं होगा

राज्य को यह तर्क देने की अनुमति है कि एक परीक्षण जो यह साबित करेगा कि निषिद्ध सामग्री प्रजाति से संबंधित है

'पापावर सोम्निफेरम एल' की आवश्यकता नहीं है;

((ख)

यह पहचानने के लिए उचित परीक्षण क्या है कि निषिद्ध पदार्थ 'पापावर सोम्निफेरम एल' की प्रजाति से संबंधित है; और

(iii)

क्या पहला प्रश्न केवल 'खसखस की भूसी' के लिए प्रासंगिक है या 'खसखस पुआल' या 'खसखस' के अन्य सभी रूपों के लिए?

(1999) 4 एस. सी. सी. 253 हिमाचल प्रदेश राज्य v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

17. श्री परमेश्वर ने कहा कि मादक पदार्थों के तीन परिवार हैं जिनसे कानून द्वारा निपटा जाता है, अर्थात् 'अफीम'।

' भांग (भांग) 'और' कोका पत्ती '। उन्होंने कहा कि यह केवल 'पापावर सोम्निफेरम एल' का पौधा है जिसमें 'अफीम' होती है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि पहले के अधिनियमों ने केवल 'पापावर सोम्निफेरम एल' को 'अफीम' के स्रोत के रूप में मान्यता दी थी। यह केवल 1985 का अधिनियम है जिसमें यह भी शामिल है

धारा 2 के खंड (xvii) में उपखंड (बी) जो 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति के लिए प्रावधान करता है जिससे 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है। हालांकि, ऐसी प्रजाति को 1985 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार द्वारा 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को मान्यता देने वाली ऐसी कोई अधिसूचना अधिसूचित नहीं की गई है।

18. श्री परमेश्वर श्री मुखर्जी द्वारा की गई इस दलील से भी सहमत हैं कि भारत भी अपने दायित्वों का पालन करने के लिए बाध्य है।

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लिए गए निर्णय। श्री परमेश्वर ने 'अफीम' के संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अधिनियमित विभिन्न कानूनों के बारे में भी बताया है। श्री परमेश्वर ने हमें बैद्यनाथ मिश्रा और अन्य बनाम के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला द्वारा दिए गए फैसले पर भी ले गए हैं। उड़ीसा राज्य 3, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब साक्ष्य

दिखाता है कि यह 'अफीम' हो सकता है, यह किसी भी संचालन करने के लिए आवश्यक नहीं होगा

आगे का विश्लेषण। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति अब इस न्यायालय के बाद के फैसले को देखते हुए वैध नहीं होगी, जिसमें हरजिंदर सिंह बनाम. पंजाब राज्य, जिस पर इस न्यायालय ने विचार किया 1985 के अधिनियम के प्रावधानों और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने के लिए निषिद्ध सामग्री का रासायनिक विश्लेषण आवश्यक है।

न्याय के हित में इस न्यायालय को विचार करना है। 5 1968 (XXXIV) कटक लॉ टाइम्स-I 6 (2011) 4 SCC 441

7 1992 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 311

8 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 120 9 2013 एससीसी ऑनलाइन एचपी 371 [2022] 11 एस. सी. आर.

विधायी इतिहासः

19. विवाद की सराहना करने के लिए, वर्तमान अधिनियम, यानी 1985 के अधिनियम से पहले के विधायी इतिहास का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा।

लागू हो रहा है।

20. इस तरह के अधिनियमों में से पहला अफीम अधिनियम, 1857 (संक्षेप में, 1857 अधिनियम) था, जिसे 'खसखस' की अवैध खेती को रोकने और 'खसखस' की खेती और उत्पादन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

सरकार के कारण 'अफीम' का। हालाँकि, 1857 का अधिनियम 'अफीम' को परिभाषित नहीं करता है। इसके बाद वर्ष 1878 में, अफीम अधिनियम, 1878 (संक्षेप में, "1878 अधिनियम") को 'अफीम' से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिनियमित किया गया, जिसमें 'अफीम' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" 3. व्याख्या खंड।

' अफीम 'का अर्थ है

((ii) ऐसे कैप्सूलों का अनायास जमने वाला रस जो पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक के अलावा किसी अन्य हेरफेर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है; और
((ग) प्राकृतिक सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण,

अफीम के ऊपर के रूप;

लेकिन इसमें कोई भी तैयारी शामिल नहीं है जिसमें 0.20 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन न हो, या खंड में परिभाषित एक निर्मित दवा शामिल नहीं है।

2 खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930; "

21. इसके बाद, खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 (संक्षेप में, "1930 अधिनियम") अधिनियमित किया गया। 1930 का अधिनियम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन (जिनेवा सम्मेलन) के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था।

1930 के अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि उक्त जिनेवा समझौते के संविदाकारी दलों ने प्रतिबंधित तस्करी और खतरनाक मादक पदार्थों, विशेष रूप से 'अफीम', 'भारतीय भांग' और 'कोका पत्ती' से प्राप्त मादक पदार्थों के दुरुपयोग को दबाने के लिए आगे के उपाय करने का संकल्प लिया। इसने धारा 2 के खंड (ई) में 'अफीम' को निम्नानुसार परिभाषित किया हैः

" 2. परिभाषाएँ।

.....

(ई) "अफीम" का अर्थ है हिमाचल प्रदेश की तारीख v। निर्मल कौर (@निमो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

खसखस के कैप्सूल (पापावर सोम्निफेरम एल);

((i) ((ख)

ऐसे कैप्सूलों का अनायास जमने वाला रस जो

पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक के अलावा किसी भी हेरफेर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

(iii)

किसी भी मिश्रण, तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना, अफीम के उपरोक्त रूप; लेकिन इसमें ऐसी कोई तैयारी शामिल नहीं है जिसमें 0.20 प्रतिशत से अधिक मॉर्फिन न हो।

22. 'अफीम' की परिभाषा और महाराष्ट्र निषेध अधिनियम, 1949 (संक्षेप में, '1949 अधिनियम') का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा। एन इस प्रकार पढ़ता है:

" (30) " अफीम "का अर्थ है -

(क) खसखस (पापावर सोमानिफोरम एल) के कैप्सूल, [चाहे वे अपने मूल रूप में हों या कटे हुए, या कुचले हुए या चूर्ण किए गए हों और क्या रस वहां से निकाला गया है या नहीं;

(ख) ऐसे कैप्सूलों का अनायास जमने वाला रस जो

पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक; तथा (ग) किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण

0.2 मॉर्फिन का प्रतिशत, या एक निर्मित दवा जैसा कि परिभाषित किया गया है खतरनाक औषधि अधिनियम, 1930 की धारा 2 "।

23. इसके बाद, वर्तमान अधिनियम, अर्थात 1985 का अधिनियम, वर्ष 1985 में अधिनियमित किया गया। 1985 के अधिनियम के सी. टी. एस. और कारणों के विवरण का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार है:

भारत में मादक पदार्थों पर वैधानिक नियंत्रण का प्रयोग कई केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख केंद्रीय अधिनियम, अर्थात् अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930 लंबे समय से लागू किए गए थे। इससे पहले। समय बीतने के साथ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध नशीली दवाओं के व्यापार और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के क्षेत्र में विकास के साथ, मौजूदा कानूनों में कई कमियां सामने आई हैं, जिनमें से कुछ का संकेत नीचे दिया गया है:

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) वर्तमान अधिनियमों के तहत दंड की योजना तस्करों के सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं है। खतरनाक मादक पदार्थ अधिनियम, 1930 में जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के अधिकतम 3 साल के कारावास और दोहराए गए अपराधों के लिए जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के 4 साल के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा, वर्तमान कानूनों में कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों को कभी-कभी मामूली सजा के साथ छोड़ दिया गया है। देश पिछले कुछ वर्षों से मुख्य रूप से हमारे कुछ पड़ोसियों से आने वाले ड्रग्स के पारगमन यातायात की समस्या का सामना कर रहा है

देश और मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के लिए नियत।

((ii) मौजूदा केंद्रीय कानूनों में मादक पदार्थ, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि जैसी कई महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों को निवेश करने का प्रावधान नहीं है।

उक्त कानूनों के तहत अपराधों की जांच।

(iii) उपरोक्त तीन केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन के बाद से मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विशाल निकाय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के माध्यम से विकसित हुआ है। भारत सरकार इन संधियों और सम्मेलनों में एक पक्ष रही है जिसमें कई दायित्व शामिल हैं जो शामिल नहीं हैं।

या केवल आंशिक रूप से वर्तमान अधिनियमों द्वारा कवर किए गए हैं।

((iv) हाल के वर्षों के दौरान लत की नई दवाएं आई हैं।

साइकोट्रोपिक पदार्थों के रूप में जाने जाने वाले दृश्य पर दिखाई दिए हैं और राष्ट्रीय सरकारों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। नियंत्रण के प्रयोग को सक्षम करने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं है

साइकोट्रोपिक पदार्थ पर कन्वेंशन, 1971 में परिकल्पित तरीके से भारत में साइकोट्रोपिक पदार्थ

उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है।

24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 1985 का अधिनियम तब से अधिनियमित किया गया जब पहले के तीन अधिनियम, अर्थात 1857 अधिनियम, 1878 अधिनियम और 1930 अधिनियम बहुत पहले अधिनियमित किए गए थे। यह भी देखा गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के क्षेत्र में विकास हुआ है। दंड की अपर्याप्तता सहित पहले के तीन अधिनियमों में कई कमियां सामने आई थीं। यह भी देखा गया कि मौजूदा केंद्रीय कानूनों में कई महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने का प्रावधान नहीं है। उक्त कानूनों के तहत अपराधों की जांच की शक्ति।

यह देखा कि, जब से पहले के तीन अधिनियम अस्तित्व में आए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और प्रोटोकॉल विकसित किए गए। द.

भारत सरकार इन संधियों और सम्मेलनों का एक पक्ष थी जिसमें कई दायित्व शामिल हैं जो पहले के तीन अधिनियमों के तहत शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, यह महसूस किया गया कि मादक दवाओं के एक व्यापक कानून के अधिनियमन की तत्काल आवश्यकता थी और

साइकोट्रोपिक पदार्थ।

25. 1985 के अधिनियम ने खंडों के तहत 'अफीम', 'अफीम व्युत्पन्न', 'अफीम खसखस', 'खसखस पुआल' और 'खसखस पुआल सांद्र' को परिभाषित किया।

(धारा 2 का xv), (xvi), (xvii), (xviii) और (xix), जो इस प्रकार हैः

" 2. परिभाषाएँ।

(xv) "अफीम" का अर्थ है

(ए) अफीम पॉपीवी का जमाया हुआ रस; और
(ख) किसी भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना,

अफीम खसखस का जमाया हुआ रस,

लेकिन इसमें कोई भी तैयारी शामिल नहीं है जिसमें 0.20 से अधिक न हो।

प्रतिशत। मॉर्फिन काः

(xvi) "अफीम व्युत्पन्न" का अर्थ है

(क) औषधीय अफीम, अर्थात अफीम जिसे औषधीय उपयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित भारतीय फार्माकोपिया या किसी अन्य फार्माकोपिया की आवश्यकताओं के साथ, चाहे वह चूर्ण के रूप में हो या दानेदार या अन्यथा या तटस्थ सामग्री के साथ मिश्रित;

(ख) तैयार अफीम, अर्थात, अफीम को एक अर्क में बदलने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यों की किसी भी श्रृंखला द्वारा अफीम का कोई भी उत्पाद।

धूम्रपान के लिए उपयुक्त और अफीम के धूम्रपान के बाद बचे हुए मल या अन्य अवशेष;

(ग) फेनान्थ्रीन एल्कलॉइड, अर्थात्, मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन

और उनके लवणः

(घ) डायसिटिलमोर्फिन, अर्थात क्षारीय को भी जाना जाता है

डायमॉर्फिन या हेरोइन और उसके लवण; और

(ई) 0.20 प्रतिशत से अधिक वाली सभी तैयारी। में से

मॉर्फिन या किसी भी डायसिटाइलमोर्फिन युक्त; [2022] 11 एस. सी. आर.

(xvii) "अफीम खसखस" का अर्थ है

(क) प्रजाति पापावर सोमरिफेरम एल का पौधा। ; और

(ख) पापावर की किसी भी अन्य प्रजाति का पौधा जिससे अफीम या कोई फेनेंथ्रीन क्षारीय पदार्थ निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अफीम पोस्ता घोषित कर सकती है।

(xviii) "खसखस पुआल" का अर्थ है कटाई के बाद अफीम खसखस के सभी भाग (बीजों को छोड़कर) चाहे वे अपने मूल रूप में हों या

कटा हुआ, कुचला हुआ या चूर्ण किया गया है और रस दिया गया है या नहीं

वहाँ से निकाला गया;

(xix) "खसखस पुआल संकेन्द्रित" का अर्थ है उस समय उत्पन्न होने वाली सामग्री जब खसखस पुआल संकेन्द्रित करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है।

इसके एल्कलॉइड; "

26. वर्तमान मामले में, हम दोषसिद्धि से चिंतित हैं

'खसखस पुआल' से संबंध। ' खसखस पुआल 'को कटाई के बाद' अफीम खसखस 'के सभी हिस्सों के लिए परिभाषित किया गया है, चाहे वे अपने मूल रूप में हों या कटे हुए, कुचले हुए या चूर्ण किए गए हों और चाहे उसमें से रस निकाला गया हो या नहीं। हालाँकि, उक्त परिभाषा में बीज को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, 'खसखस पुआल' का अर्थ होगा बीज को छोड़कर 'अफीम खसखस' के सभी भाग। इसलिए, उल्लंघन के लिए अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए

'खसखस पुआल' के संबंध में, 'अफीम खसखस' की परिभाषा को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा। अफीम खसखस 'को खंड (xvii) के तहत परिभाषित किया गया है

1985 के अधिनियम की धारा 2 जिसे यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के अनुसार, 'अफीम खसखस' का अर्थ है 'पैपर सोम्निफेरम एल' प्रजाति का पौधा। इसके उपखंड (बी) के अनुसार, 'अफीम खसखस' का अर्थ किसी भी किस्म का पौधा भी होगा। 'पापावर' की अन्य प्रजातियाँ जिनमें से 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है और जिन्हें केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'अफीम खसखस' घोषित किया है।

27. 1985 के अधिनियम की धारा 15 जो 'खसखस के पुआल' के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है, इस प्रकार हैः

" 15. अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा

पुआल। - जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करते हुए, हिमाचल प्रदेश के अंतर-राज्य में उत्पादन, स्वामित्व, परिवहन, आयात, निर्यात करता है।

गोदाम में खसखस के पुआल को बताना, बेचना, खरीदना, उपयोग करना या छोड़ना या गोदाम में रखे गए खसखस के पुआल के संबंध में कोई कार्य करना दंडनीय होगा।

(अ)

जहाँ उल्लंघन में कम मात्रा शामिल है, के साथ एक वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास, या जुर्माने के साथ जो तब एक हजार तक हो सकता है

रुपये या दोनों के साथ; या

जहाँ उल्लंघन में कम मात्रा शामिल है

(ख)

रुपये; या

जहाँ उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा शामिल है,

((ग)

एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो बीस वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो

एक लाख रुपये से कम लेकिन जो दो तक बढ़ सकता है

लाख रुपयेः

बशर्ते कि न्यायालय, में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए

निर्णय में दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाता है।

28. 1985 के अधिनियम की धारा 15 के अवलोकन से पता चलता है कि,

जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करते हुए, उत्पादन करता है, रखता है, परिवहन करता है, अंतर-राज्य आयात करता है, अंतर-राज्य निर्यात करता है, बेचता है,

गोदाम में खसखस के भूसे की खरीद, उपयोग या चूक या गोदाम में रखे गए खसखस के भूसे के संबंध में कोई भी कार्य करने पर मात्रा के आधार पर न्यूनतम एक वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम दस हजार रुपये से लेकर दो लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा होगी।

29. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियुक्त के अपराध को 1985 के अधिनियम की धारा 15 के दायरे में लाने के लिए यह आवश्यक है कि -

यह स्थापित करें कि उल्लंघन 'खसखस के भूसे' के संबंध में है। धारा 2 के खंड (xvii) और (xviii) और 1985 के अधिनियम की धारा 15 के तहत दी गई परिभाषा के संयुक्त अध्ययन से पता चलेगा कि आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक होगा कि एकत्र की गई जब्त सामग्री बीज को

छोड़कर 'अफीम खसखस' का कोई भी हिस्सा है। इस प्रकार, जो स्थापित करने की आवश्यकता होगी वह यह है कि जब्त किए गए [2022] 11 एस. सी. आर. का वंश।

सामग्री 'अफीम खसखस' है जैसा कि 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के तहत परिभाषित किया गया है।

30. जिस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष के लिए यह स्थापित करना पर्याप्त है कि कच्चे माल में क्या है

' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'को 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के तहत लाना या अभियोजन के लिए आवश्यक है।

यह और स्थापित करने के लिए कि, हालांकि जब्त की गई सामग्री में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है, जब्त की गई सामग्री का वंश 'पैपवर सोम्निफेरम एल' या 'पैपवर' की कोई अन्य प्रजाति है जिससे 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है और जिसे अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है।

1985 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र 'अफीम खसखस' होगा।

31. यह ध्यान देने योग्य होगा कि हालांकि 1857 के अधिनियम और 1930 के अधिनियम में केवल 'अफीम' को परिभाषित किया गया था, लेकिन 1985 के अधिनियम में पहली बार 'अफीम', 'अफीम पोस्ता', 'खसखस पुआल' और 'खसखस पुआल सांद्र' के लिए अलग-अलग परिभाषाएं प्रदान की गई हैं।

32. हम पहले ही विधायी इतिहास का उल्लेख कर चुके हैं। जिन अधिनियमों से निपटा जाना है उनमें से पहला 1878 का अधिनियम है और दूसरा 1930 का अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों ने 'अफीम' को 'खसखस' (पापावर सोम्निफेरम एल) के कैप्सूल और ऐसे कैप्सूल के सहज रूप से जमने वाले रस के रूप में परिभाषित किया है जो पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक के अलावा किसी भी हेरफेर के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त परिभाषाओं में 'अफीम' के उपरोक्त रूपों में से किसी के भी तटस्थ सामग्री के साथ या उसके बिना कोई भी मिश्रण शामिल था। हालाँकि, यदि ऐसी किसी भी तैयारी में 'मॉर्फिन' का 0.20% से कम था, तो इसे 'अफीम' की परिभाषा से बाहर रखा गया था। 1949 के अधिनियम में भी इसी तरह की परिभाषा दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय विकासः

33. जबकि हम 1985 के अधिनियम के अस्तित्व में आने तक भारत में विभिन्न कानूनों को लागू करने में विधायी पक्ष के विकास को देखते हैं, यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि पिछली शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकास हुआ था ताकि ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जा सके। 34. अंतर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन पर 23 जनवरी 1912 को हेग में हस्ताक्षर किए गए थे (इसके बाद इसे "1912 सम्मेलन" के रूप में संदर्भित किया गया है)। समझौते के अनुसार, 1912 के समझौते में, 'कच्ची अफीम' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" परिभाषा. - "कच्ची अफीम" से समझा जाता हैः पैपर सोम्निफेरम के कैप्सूल से प्राप्त अनायास जमने वाला रस जिसे केवल पैकिंग और परिवहन के लिए आवश्यक हेरफेर के लिए प्रस्तुत किया गया है।

35. मादक पदार्थों की लत और अवैध तस्करी से निपटने के प्रयासों को जारी रखने के दृढ़ संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए और

इस तथ्य के बारे में जागरूक होने के कारण कि वांछित परिणाम केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच घनिष्ठ सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, 1953 के संयुक्त राष्ट्र अफीम सम्मेलन में, "खसखस के पौधे की खेती को सीमित करने और विनियमित करने के लिए प्रोटोकॉल, उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय और थोक व्यापार, और अफीम के उपयोग" (इसके बाद इसे "1953 प्रोटोकॉल" के रूप में संदर्भित किया गया) का समाधान किया गया। उक्त प्रोटोकॉल में प्रदान की गई 'खसखस', 'खसखस पुआल' और 'अफीम' की परिभाषाओं को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

" खसखस "का अर्थ है पापावर सोम्निफेरम एल. पौधा, और पापावर की कोई अन्य प्रजाति जिसका उपयोग उत्पादन के लिए किया जा सकता है

अफीम;

" खसखस के पुआल का अर्थ है कटाई के बाद खसखस के सभी भाग (सिवाय इसके कि

बीज) जिसमें से मादक पदार्थ निकाले जा सकते हैं;

" अफीम "का अर्थ है कच्ची अफीम, औषधीय अफीम और तैयार अफीम सहित किसी भी रूप में खसखस का जमाया हुआ रस, लेकिन गैलेनिकल तैयारी को छोड़कर;

यह व्यक्ति के लिए एक गंभीर बुराई है और मानव जाति के लिए सामाजिक और आर्थिक खतरे से भरा हुआ है, और इस बुराई को रोकने और उसका मुकाबला करने के कर्तव्य के प्रति सचेत है और यह समझता है कि इस तरह की सार्वभौमिक कार्रवाई के लिए आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मादक पदार्थों पर एकल समझौता, 1961 (जिसे इसके बाद "1961 समझौता" के रूप में संदर्भित किया गया है) का समाधान किया गया था। 1972 के प्रोटोकॉल द्वारा इसमें और संशोधन किया गया था। 'औषधीय अफीम', 'अफीम', 'अफीम खसखस' और 'खसखस' की परिभाषाओं को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

स्ट्रा ', जैसा कि 1961 के कन्वेंशन में पाया गया हैः

“ ओ) "औषधीय अफीम" का अर्थ है अफीम जो

औषधीय उपयोग के लिए इसे अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ। पी) "अफीम" का अर्थ है अफीम खसखस का जमाया हुआ रस।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्यू) "अफीम खसखस" का अर्थ है प्रजाति पापावर सोम्निफेरम एल का पौधा। आर) "खसखस पुआल" का अर्थ है अफीम के सभी भाग (बीजों को छोड़कर)।

खसखस, कटाई के बाद "।

जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, हालांकि 1953 के प्रोटोकॉल में परिभाषा में 'पापावर सोम्निफेरम एल' का पौधा शामिल था, इसमें 'पापावर' की कोई भी अन्य प्रजाति भी शामिल थी जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 38. "नार्कोटिक ड्रग्स पर एकल सम्मेलन पर टिप्पणी, 1961" से निम्नलिखित उद्धरणों का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा।

(संक्षेप में, "उक्त टिप्पणी"), जो इस प्रकार हैः

" 1. कभी-कभी यह तय करना मुश्किल होता है, और इसलिए एक मतभेद मौजूद है कि क्या एक पौधे के विभिन्न रूप एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्मों का गठन करते हैं या एक ही जीनस की विभिन्न प्रजातियों का गठन करते हैं, जैसे "। पापावर सेटीगेरम "को कुछ लोगों द्वारा पापावर सोम्निफेरम एल. प्रजातियों की एक किस्म माना जाता है और अन्य लोगों द्वारा एक अलग प्रजाति माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ, हालांकि महत्वहीन, मॉर्फिन की मात्रा पापावर सेटीगेरम से प्राप्त की जा सकती है। 2. ऐसा प्रतीत होता है कि एकल सम्मेलन के लेखकों ने यह मान लिया है कि वे सभी पौधे जिनसे अफीम प्राप्त की जा सकती है

मात्राएँ केवल एक ही प्रजाति की किस्में हैं, पापावर

सोम्निफेरम एल. इसलिए उन्होंने "अफीम खसखस" को प्रजाति पापावर सोम्निफेरम एल. के पौधे के रूप में परिभाषित किया। दूसरी ओर, 1953 का प्रोटोकॉल "खसखस" को "पौधे पापावर" के अर्थ में परिभाषित करता है।
सोम्निफेरम एल., और पापावर की कोई अन्य प्रजाति जिसका उपयोग अफीम के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

3. यदि कोई पौधा जिसे प्रजाति पापावर सोम्निफेरम एल. की एक किस्म नहीं माना जाता है, लेकिन पापावर वंश की एक अन्य प्रजाति, अफीम पैदा करने के लिए पाया जाता है, तो पौधा और उसका उत्पाद एकल के नियंत्रण प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।

कन्वेंशन, लेकिन केवल प्रोटोकॉल के अनुसार। पौधे का जमाया हुआ रस हिमाचल प्रदेश के एकल सम्मेलन राज्य v के प्रयोजनों के लिए होगा।

निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

"अफीम" नहीं हो सकता है, लेकिन एकल समझौते के अनुच्छेद 3 के संचालन से अनुसूची I में सूचीबद्ध किया जा सकता है और एक "दवा" बन सकता है

अनुसूची I-"पापावर सोम्निफेरम एल" प्रजाति से प्राप्त "अफीम" की तरह-और इस प्रकार प्रदान की गई व्यवस्था के तहत रखा जाए।

इस अनुसूची में दवाओं के लिए एकल संधि द्वारा। एकल समझौते के अर्थ के भीतर "अफीम खसखस" नहीं होने के कारण, पौधे से इसका अलग होना भी "उत्पादन" नहीं होगा, लेकिन

" उत्पादन "। ऐसी स्थिति से निपटने का एक अन्य तरीका अफीम खसखस की परिभाषा में संशोधन होगा ताकि अफीम पैदा करने के लिए पाई जाने वाली अतिरिक्त प्रजातियों को शामिल किया जा सके। ऐसे मामले में इस तरह के संशोधन के लिए आम सहमति प्राप्त करना संभव हो सकता है अनुच्छेद 47 में पूर्वनिर्धारित सरलीकृत प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवश्यक एकल समझौते के पक्षकार।

39. उक्त टिप्पणी से पता चलता है कि, कभी-कभी इस बात पर विचार करना मुश्किल था कि क्या एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्में हैं या नहीं।

एक ही वंश की विभिन्न प्रजातियाँ, अर्थात 'पैपावर सेटीगेरम' को 'पैपवर सोम्निफेरम एल' प्रजातियों की एक किस्म या एक अलग प्रजाति माना जा सकता है। इसने नोट किया कि एकल सम्मेलन के लेखकों ने यह मान लिया है कि सभी पौधे जिनसे अफीम को महत्वपूर्ण मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, वे केवल एक ही प्रजाति की किस्में हैं, यानी, पापावर सोम्निफेरम एल। इसने यह भी नोट किया कि हालांकि 1953 के प्रोटोकॉल में 'खसखस' की परिभाषा के भीतर 'पापावर सोम्निफेरम एल' पौधा शामिल था, लेकिन इसमें 'पापावर' की कोई भी अन्य प्रजाति भी शामिल थी जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अतः उक्त टिप्पणी के लेखकों का मत है कि यदि एक पौधा जिसे प्रजाति 'पैपावर सोम्निफेरम एल' की विविधता नहीं माना जाता है, बल्कि 'पैपवर' वंश की किसी अन्य प्रजाति का माना जाता है, तो अफीम का उत्पादन पाया जाता है, तो पौधा और उसका उत्पाद एकल सम्मेलन के नियंत्रण प्रावधानों द्वारा नहीं, बल्कि केवल प्रोटोकॉल के प्रावधानों द्वारा कवर किया जाएगा। एकल समझौते के उद्देश्य से पौधे का जमाया हुआ रस 'अफीम' नहीं होगा, बल्कि एकल समझौते के अनुच्छेद 3 के संचालन से अनुसूची I में सूचीबद्ध किया जा सकता है और अनुसूची I की 'दवा' बन सकता है जैसे 'अफीम' प्रजाति 'पैपर सोम्निफेरम एल' से प्राप्त होती है। अतः उक्त टिप्पणी के लेखकों ने सिफारिश की कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 'अफीम खसखस' की परिभाषा में संशोधन किया जाए ताकि 'अफीम' पैदा करने वाली अतिरिक्त प्रजातियों को शामिल किया जा सके।

40. हम पाते हैं कि 1985 के अधिनियम की व्याख्या करते समय इन सभी अंतर्राष्ट्रीय विकासों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि [2022] 11 एस. सी. आर.

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में ही उल्लेख किया गया है कि किसी भी दवा और मादक पदार्थों के नियंत्रण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ है और 1985 का अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिबद्धताओं को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया है।

वैज्ञानिक अध्ययनः

41. 'अफीम खसखस' की सटीक परिभाषा के संबंध में बहुत सारे शोध किए गए हैं। 1966 के शब्दकोश में, 'पापावर सोम्निफेरम एल' को 'अफीम खसखस' के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त शब्दकोश से पता चलता है कि 'अफीम खसखस' की खेती 'अफीम' के उत्पादन और 'खसखस के बीज' के लिए की जाती थी। भारत में 'अफीम' के लिए 'खसखस' की खेती सोलहवीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित की गई थी और यह राजस्व का एक बड़ा स्रोत था।

लगातार सरकारों के लिए। इसने यह भी नोट किया कि 'अफीम' को देश के भीतर एक मादक पदार्थ के रूप में स्वतंत्र रूप से बेचा जाता था और उसी उद्देश्य के लिए निर्यात किया जाता था

सुदूर पूर्वी देश, विशेष रूप से चीन। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक भाग में 'अफीम खसखस' की खेती के तहत उच्च क्षेत्रफल हुआ। 'अफीम' का घोर दुरुपयोग और इसके हानिकारक प्रभाव

शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से यह इतना व्यापक हो गया कि यह कई देशों में एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई। चीन के साथ उस देश में 'अफीम' के निर्यात को उत्तरोत्तर कम करने के लिए एक समझौते के परिणामस्वरूप, 1960 1961 में 'अफीम' की खेती के तहत कुल क्षेत्र में काफी गिरावट आई। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 1949 में देश में गैर-चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा उपयोग के लिए 'अफीम' की खपत को पूरी तरह से 1958-1959 द्वारा बंद करने का निर्णय लिया।

42. 1966 के शब्दकोश के प्रासंगिक उद्धरणों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उचित होगाः

" रासायनिक संयोजन

ताजा अफीम एक भूरे रंग का, कुछ हद तक प्लास्टिक का ठोस होता है, जो सख्त हो जाता है और रखने पर कभी-कभी भंगुर हो जाता है और इसका एक विशिष्ट फल होता है।

गंध। अफीम का मूल्य इसमें मौजूद क्षारीय पदार्थों के लिए माना जाता है, कुल क्षारीय सामग्री 5 से 25 प्रतिशत (आम तौर पर 20 प्रतिशत) तक भिन्न होती है। अफीम से बड़ी संख्या में एल्कलॉइड अलग किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान में

25 ज्ञात हैं (तालिका 3)। मॉर्फिन, कोडीन थेबेन, नार्कोटिन, नार्सीन और पैपावेरिन मुख्य अफीम एल्कलॉइड हैं, और इनमें से मॉर्फिन सबसे प्रचुर मात्रा में और अब तक सबसे महत्वपूर्ण है। मॉर्फिन मेकोनिक और सल्फ्यूरिक एसिड के संयोजन में लवण के रूप में पानी में आसानी से घुलनशील होता है। अन्य क्षारयुक्त पदार्थ आंशिक रूप से मुक्त अवस्था में और आंशिक रूप से लवण के रूप में अफीम में पाए जाते हैं (थ्रोप, IX, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश v.

निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

99 ; एनेट एट अल। , मेम डेप। एग्री इंडिया, केम, 1921-23,6-1; मर्क सूचकांक, 756, चोपड़ा आदि। , 169 ; हेनरी, 178; यू. एस. डी., 1955,927)

अफीम का मूल्यांकन इसके मॉर्फिन-सामग्री पर निर्भर करता है जो

वाणिज्यिक नमूनों में स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है। 43. उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि 'पैपर'

सोम्निफेरम एल 'में पाँच प्रमुख एल्कलॉइड होते हैं। , ' मॉर्फिन ',' नार्कोटिन ',' पापावेरिन ',' थेबेन 'और' कोडीन '। यह भी पता चलता है कि ' मॉर्फिन 'मेकोनिक' और 'सल्फ्यूरिक' एसिड के संयोजन में मौजूद है। 'अफीम' का मूल्यांकन इसकी 'मॉर्फिन-सामग्री' पर निर्भर करता है जो वाणिज्यिक नमूनों में स्पष्ट रूप से भिन्न होता है।

44. यह 1998 की नियमावली का उल्लेख करने के लिए भी प्रासंगिक होगा, जो

'अफीम', 'मॉर्फिन' और 'हेरोइन' के परीक्षण के लिए अनुशंसित तरीके। 1998 की नियमावली अवैध 'अफीम' के उत्पादन से संबंधित है। प्रासंगिक 1998 की नियमावली के उद्धरण इस प्रकार हैं:

" हेरोइन का तत्काल अग्रदूत मॉर्फिन है, और मॉर्फिन अफीम से प्राप्त किया जाता है। अफीम एक सूखा दूधिया रस (लेटेक्स) है जो पापावर सोम्निफेरम एल. के कच्चे बीज की फली से प्राप्त होता है।

आमतौर पर अफीम या तेल खसखस के रूप में जाना जाता है। मॉर्फिन पापावर सेटीगेरम में भी मौजूद होने की सूचना मिली है, और पापावर डिकैस्नी और पापावर रोयस में एक मामूली क्षारीय के रूप में मौजूद है।

हालाँकि, अफीम उत्पादन के लिए इन खसखस का उपयोग किए जाने का कोई ज्ञात उदाहरण नहीं है, और हाल ही में किए गए काम ने काफी काम किया है।

पापावर रोयस में मॉर्फिन की उपस्थिति के बारे में संदेह है। अफीम खसखस के वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान पर कपूर की एक प्रमुख समीक्षा

इसे और पढ़ने की सलाह दी जाती है। "

45. इस प्रकार यह देखा गया है कि 1998 की नियमावली में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 'हेरोइन' का तत्काल अग्रदूत 'मॉर्फिन' है, और 'मॉर्फिन' 'अफीम' से प्राप्त होता है। इसमें आगे कहा गया है कि 'अफीम' 'पापावर सोम्निफेरम एल' के कच्चे बीज की फली से प्राप्त सूखा दूधिया रस है। यह भी नोटिस करता है

यह भी बताया गया है कि 'मॉर्फिन' 'पैपावर सेटीगेरम' में मौजूद है, और 'पैपवर डिकैस्नी' और 'पैपवर रोयस' में एक मामूली क्षारीय के रूप में मौजूद है। यह आगे नोटिस करता है कि इन खसखस का कोई ज्ञात उदाहरण नहीं है

'अफीम' के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह इस बात पर भी ध्यान देता है कि हाल के एक काम ने 'पैपावर' में 'मॉर्फिन' की उपस्थिति के बारे में काफी संदेह पैदा किया है।

रोयस '। 1998 की नियमावली से यह भी पता चलता है कि 'कच्ची अफीम' में निम्नलिखित प्रमुख एल्कलॉइड पाए जाते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रॉ ओपियम में प्रमुख एल्केलॉइड्स पाए गए

एल्कलॉइड्स	न्यूनतम%	अधिक तम%	ए. वी. जी%
मॉर्फिन	3.1	19.2	11.4
कोडाइन	0.7	6.6	3.5
थेबाइन	0.2	10.6	3.1
पापवेरिन	< 0.1	9.0	3.2
नोस्कैपाइन			8.1

46. शोध पर 1998 की नियमावली में छह प्रमुख घटकों को दिखाया गया है।

'अफीम' और 'कच्चे मॉर्फिन' के नमूनों में, अर्थात। , ' मॉर्फिन ',' कोडीन ',' थेबेन ',' पैपावेरिन ',' नोस्केपीन 'और' मेकोनिक एसिड '।

47. "पादप विष का विश्लेषण" शीर्षक से एक और प्रकाशन

डॉ. एम. पी. गौतम और श्रीमती. शुभ्रा गौतम यह स्थापित करते हैं कि, 'अफीम' में पाए जाने वाले छह प्रमुख एल्कलॉइड के अलावा, 'मेकोनिक एसिड' आसानी से 'पापावर सोम्निफेरम एल' में पाया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि

' मेकोनिक एसिड 'हमेशा' अफीम 'में पाया जाता है और इसकी उपस्थिति का उपयोग लंबे समय से' अफीम 'को इंगित करने के लिए किया जाता रहा है। अध्ययन से पता चलता है कि 'पैपावर' की कुछ प्रजातियां जो कोई मॉर्फिन का उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन अन्य मॉर्फिनेन में भी यह एसिड हो सकता है। हालांकि, अध्ययन से पता चलता है कि, 'पापावर' के रूप में सोम्निफेरम एल 'का संबंध है, इसमें' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'पाए जाते हैं।

48. अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन

"नार्कोटिक ड्रग्स स्टूपेफियांट्स एस्टुपेफैसिएंटस-2022 के लिए अनुमानित विश्व आवश्यकताएँ" नामक बोर्ड भी इस प्रकार कहता हैः

" 3. अफीम और खसखस के पुआल से प्राप्त कच्चे माल हैं।

अफीम खसखस का पौधा (पापावर सोम्निफेरम), जिससे एल्कलॉइड निकलते हैं।

जैसे मॉर्फिन, थेबेन, कोडीन और ओरिपाविन निकाले जाते हैं।

खसखस पुआल का सांद्रण इस प्रक्रिया में प्राप्त एक उत्पाद है।

खसखस के पुआल से एल्कलॉइड निकालने का। इसके तहत नियंत्रित किया जाता है

1961 का समझौता। अफीम की आपूर्ति पर विस्तृत जानकारी

कच्चा माल और चिकित्सा और वैज्ञानिक कार्यों के लिए अफीम की मांग

वर्तमान प्रकाशन के भाग तीन में उद्देश्य प्रदान किए गए हैं।

49. यह भी ध्यान देने योग्य होगा कि 2021 की धारा 3

मैनुअल 'अफीम', 'अफीम एल्कलॉइड' और 'खसखस के पुआल' से संबंधित है। 2021 की नियमावली की धारा 3.7 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैः

" 3.7 विधियाँः

3.7. 1 रंग परीक्षणः

इन परीक्षणों के सकारात्मक परिणाम अफीम एल्कलॉइड की उपस्थिति के लिए केवल अनुमानित संकेत हैं। विश्लेषक के लिए किसी भी वैकल्पिक तकनीक का उपयोग करके ऐसे परिणामों की पुष्टि करना अनिवार्य है। क) मार्किस परीक्षण [1]: एक परीक्षण नली में संदिग्ध नमूने की एक छोटी मात्रा लें और पानी की लगभग 10 बूंदें डालें, एक कांच की छड़ से नमूने को कुचल दें। एक स्पॉटिंग प्लेट पर फिल्टर पेपर/सुपरनेटेंट तरल के माध्यम से पानी के घोल की कुछ बूंदें डालें और मार्किस अभिकर्मक की कुछ बूंदें डालें। बैंगनी बैंगनी रंग का विकास अफीम/कच्चे मॉर्फिन की उपस्थिति को इंगित करता है।

मार्किस अभिकर्मक की तैयारीः 8-10 40 प्रतिशत की गिरावट कॉन के 10 मिलीलीटर में फॉर्मेल्डिहाइड घोल मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड।

ख) फेरिक नमक परीक्षण [1]: स्पॉट प्लेट पर संदिग्ध सामग्री की थोड़ी मात्रा लें और पानी की लगभग 2 बूंदें डालें, नमूने को तब तक काटें जब तक कि पानी का रंग भूरा न हो जाए। ब्राउन की एक बूंद लें।

स्पॉट प्लेट के दूसरे हिस्से में तरल, अभिकर्मक की एक बूंद जोड़ें। भूरे बैंगनी रंग की उपस्थिति मेकोनिक एसिड की उपस्थिति के लिए सकारात्मक परीक्षण का संकेत देती है। यह मेकोनिक एसिड कच्चे और तैयार अफीम में मौजूद होता है, लेकिन कच्चे में इसका पता नहीं चलेगा।

ग) फेरिक क्लोराइड परीक्षणः अफीम के उचित नमूने को भंग करें। पानी में और फेरिक क्लोराइड के 10 प्रतिशत घोल की कुछ बूंदों से पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद डालें। एक लाल रंग दिखाई देता है।

इस घोल को दो भागों में विभाजित करें। पहला भाग लें और इसमें पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में और गर्म करें। घोल का लाल रंग वहीं रहता है। दूसरा भाग लें और मर्क्यूरिक क्लोराइड का घोल डालें। घोल का रंग प्रभावित नहीं करता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड अभिकर्मक की तैयारीः 5 ग्राम घोल लें। 100 मिलीलीटर पानी में मर्क्यूरिक क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पतला करें [3]: एच. सी. 1 का लगभग 10 प्रतिशत डब्ल्यू/डब्ल्यू पानी में [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पोर्फिरॉक्सिन परीक्षण [1]: संदेह की एक छोटी राशि लें

एक स्पॉट प्लेट पर सामग्री डालें और पानी की दो बूंदें डालें। इसे कांच की छड़ से काट लें। इस मिश्रण से भूरे रंग के तरल की एक बूंद प्लेट के दूसरे हिस्से में लें, 2 एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक बूंद डालें और धीरे-धीरे गर्म करें। लाल रंग की उपस्थिति उपस्थिति को इंगित करती है

पोर्फिरॉक्सिन "।

50. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, हालांकि रंग परीक्षणों में सकारात्मक परिणाम केवल 'अफीम एल्कलॉइड' की उपस्थिति के लिए एक संकेत हैं, एक वैकल्पिक तकनीक के उपयोग से ऐसे परिणामों की पुष्टि करना अनिवार्य है। यह आगे पता चलेगा कि मार्किस परीक्षण की उपस्थिति का संकेत देता है

' अफीम/कच्चा मॉर्फिन '। फेरिक नमक परीक्षण 'मेकोनिक एसिड' की उपस्थिति का खुलासा करेगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि, हालांकि रंग परीक्षण सकारात्मक है,

'अफीम/कच्चा मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की उपस्थिति स्थापित करने के लिए इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होती है।

51. इस पृष्ठभूमि में हमें वर्तमान मुद्दे पर विचार करना होगा।

52. हम पाते हैं कि क़ानूनों की व्याख्या के दो सिद्धांत वर्तमान मामले को नियंत्रित करेंगे। पहला है शरारत का नियम व्याख्या।

हेडन/मिसचीफ नियमः

53. वर्ष 1955 में, द बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ बनाम. द.

बिहार और अन्य राज्यों ने इस प्रकार देखा हैः

" 23. यह 1584 में इंग्लैंड में दृढ़ता से स्थापित एक क़ानून के निर्माण का एक ठोस नियम है जब हेडन का मामला [3 Co. Rep 7a: 76 ई. आर. 637] तय किया गया था कि -

सामान्य रूप से सभी कानूनों की निश्चित और सही व्याख्या के लिए (चाहे वे दंडात्मक हों या लाभकारी, प्रतिबंधात्मक या विस्तारक हों) सामान्य कानून) चार चीजों को समझना और विचार करना हैः

1 सेंट. बनाने से पहले सामान्य कानून क्या था

एक्ट करें।

2 एन. वह क्या शरारत और दोष था जिसके लिए

सामान्य कानून प्रदान नहीं करता है।

3 आर. डी. संसद ने राष्ट्रमंडल की बीमारी को ठीक करने के लिए क्या उपाय हल किया है और नियुक्त किया है। , और

10 [1955] 2 एस. सी. आर. 603 हिमाचल प्रदेश की तिथि v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

4 टी. उपचार का वास्तविक कारण; और फिर सभी न्यायाधीशों का कार्यालय हमेशा ऐसा निर्माण करना है जो शरारत को दबाए, और उपचार को आगे बढ़ाए, और शरारत को जारी रखने के लिए सूक्ष्म आविष्कारों और टालमटोल को दबाए, और सही इरादे के अनुसार इलाज और उपचार में बल और जीवन जोड़ें।

अधिनियम के निर्माताओं में से, प्रो बोना पब्लिक।

इन री मेफेयर प्रॉपर्टी कंपनी [एल. आर. (1898) 2 च. 28 पी. 35] 1898 में लिंडले, एम. आर. ने इस नियम को "अब जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक" पाया।

फोटोग्राफिक मैटेरियल कंपनी v. के नियंत्रक जनरल पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न [एलआर (1898) 576 पर एसी 571]

हेल्सबरी के अर्ल ने इस नियम की पुष्टि इस प्रकार कीः

" मेरे स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि क़ानून का अर्थ

प्रश्न यह है कि पूर्व अधिनियम और उन सुनिश्चित बुराइयों को संदर्भित करना न केवल वैध है, बल्कि अत्यधिक सुविधाजनक है, जिनके लिए पूर्व अधिनियम ने जन्म दिया था, और बाद के अधिनियम को, जिसने उपाय प्रदान किया था। इन तीनों की तुलना किए जाने पर मैं निष्कर्ष पर संदेह नहीं कर सकता।

हमें ऐसा लगता है कि यह नियम निर्माण पर समान रूप से लागू होता है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 286 का। ठीक से व्याख्या करने के लिए

इसलिए उस अनुच्छेद के प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है कि संविधान के आने से ठीक पहले मामला कैसे खड़ा था।

लागू किया, क्या शरारत थी जिसके लिए पुराना कानून नहीं था

प्रदान करें और उपचार जो प्रदान किया गया है

उस शरारत को ठीक करने के लिए संविधान।

54. द बंगाल इम्युनिटी के मामले में निर्धारित कानून

पैनी लिमिटेड (उपरोक्त) का इस न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है।

इसलिए बीमारों को निम्नलिखित चार कारकों की जांच करनी होगीः

(i) 1985 के अधिनियमन से पहले क्या स्थिति थी?

ऐक्ट?

((ख)

वह कौन सी शरारत और दोष था जिसके लिए पहले अधिनियमों ने प्रदान नहीं किया?

(iii) संसद ने किस उपाय का संकल्प लिया था

शरारत और दोष?

) 0 ((iv)

(उपचार का वास्तविक कारण।

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

55. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय

सम्मेलनों ने लगातार माना कि 'पापावर सोम्निफेरम एल' का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जाता था। 1878 के अधिनियम के साथ-साथ 1930 के अधिनियम ने भी स्पष्ट रूप से मान्यता दी कि 'अफीम' 'पैपर सोम्निफेरम एल' से ली गई थी। विशाल वैज्ञानिक अध्ययन ने यह भी माना है कि

'पैपर सोम्निफेरम एल' में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है।

56. 1953 के प्रोटोकॉल में पहली बार देखा गया कि 'पापावर' की अन्य प्रजातियां भी हैं जिनका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। उक्त टिप्पणी ने फिर से इस स्थिति को देखा। इसने यह तय करने में भी कठिनाई देखी कि क्या एक पौधे के विभिन्न रूप एक ही प्रजाति की विभिन्न किस्मों का गठन करते हैं या एक ही जीनस की विभिन्न प्रजातियों का गठन करते हैं, उदाहरण के लिए, 'पैपर सेटीगेरम'। यह देखा गया कि कुछ लोग इसे 'पापावर सोम्निफेरम एल' प्रजाति की एक किस्म मानते हैं और अन्य लोग इसे एक अलग प्रजाति मानते हैं। इसने यह भी देखा कि 'पैपावर सेटीगेरम' से 'मॉर्फिन' की नगण्य मात्रा प्राप्त की जा सकती है। उक्त टिप्पणी ने देखा कि एकल सम्मेलन के लेखकों ने यह मान लिया है कि जिन पौधों से 'अफीम' को महत्वपूर्ण मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, वे केवल एक ही प्रजाति 'पैपर सोम्निफेरम एल' की किस्में हैं। इसने नोट किया कि इसलिए उन्होंने 'अफीम खसखस' को प्रजाति 'पापावर' के पौधे के रूप में परिभाषित किया है।

सोम्निफेरम एल '। इसने यह भी नोट किया कि दूसरी ओर, 1953 के प्रोटोकॉल ने 'खसखस' को 'पापावर सोम्निफेरम एल' पौधे और 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति के लिए परिभाषित किया, जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, उक्त टिप्पणी ने सिफारिश की 'अफीम खसखस' की परिभाषा में संशोधन ताकि 'अफीम' पैदा करने वाली अतिरिक्त प्रजातियों को शामिल किया जा सके।

57. यह ध्यान देने योग्य है कि 1985 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि 1985 का अधिनियम तब से लागू किया गया था जब से इसे लागू किया गया था।

यह पाया गया कि पहले के तीन अधिनियम इसके तहत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। यह भी देखा गया है कि पहले के तीन अधिनियमों के अधिनियमन के बाद, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के माध्यम से मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विशाल निकाय विकसित हुआ है और इस तरह, एक समेकित कानून लाना आवश्यक पाया गया है।

अधिनियमन।

58. इस दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट है कि विधायिका इस बात से अवगत थी कि 'पैपावर सोम्निफेरम एल' प्रजाति का पौधा जिसमें 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है, 'अफीम' के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता था। हालाँकि, यह भी देखा गया कि 'पापावर' की कुछ अन्य प्रजातियाँ हो सकती हैं जिनमे से 'अफीम' या कोई अन्य 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' हिमाचल प्रदेश v की स्थिति बता सकता है।

59. विधायिका, इस बात से अवगत है कि वैज्ञानिक अध्ययन निर्विवाद रूप से यह स्थापित करते हैं कि 'पैपर सोम्निफेरम एल' में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' होता है और इस तरह, इसका उपयोग 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उप-खंड (ए) के आधार पर 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, 1985 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए इसका अर्थ 'अफीम' के रूप में परिभाषित किया गया है। जबकि, चूंकि यह देखा गया था कि 'पापावर सोम्निफेरम एल' की कुछ अन्य प्रजातियों का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें 'अफीम' या कोई 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' होता है, इसलिए इसने केंद्रीय सरकार को एक विवेकाधिकार दिया। सरकार 1985 के अधिनियम के उद्देश्य से इस तरह के पौधे को 'अफीम खसखस' घोषित करने के लिए आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करेगी।

60. चूँकि यह पहले के तीन अधिनियमों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा मान्यता प्राप्त है कि

सोम्निफेरम एल 'में' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'होता है, हमारे विचार में, दो परीक्षणों के बाद सकारात्मक रूप से' पॉपी स्ट्रॉ 'के नमूने में' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'होने का संकेत मिलता है, यह स्थापित करने के लिए एक और आवश्यकता है कि निषिद्ध प्रजातियां केवल' पैपर सोम्निफेरम एल 'की प्रजातियों से संबंधित हैं, जो विधायी इरादे के विपरीत होगा।

61. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थों में अवैध व्यापार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन,

1988 (संक्षेप में, "1988 कन्वेंशन") ने फिर से 'अफीम' को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार हैः

" अफीम खसखस का अर्थ है प्रजाति का पौधा।

सोमिनफेरम एल ";

62. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, हालांकि 1953 के प्रोटोकॉल में पहली बार 'पापावर' की कोई अन्य प्रजाति शामिल थी, जिसका उपयोग इसके लिए किया जा रहा था। 'अफीम' के उत्पादन, 1961 और 1988 के बाद के सम्मेलनों ने 'अफीम खसखस' की परिभाषा को 'पापावर सोम्निफेरम एल' की प्रजाति का पौधा होने तक सीमित कर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, विधानमंडल [2022] 11 एस. सी. आर.

' मेकोनिक एसिड 'और' अफीम 'के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता था, पहले से ही पहले के अधिनियमों में' अफीम 'की परिभाषा में शामिल किया गया था,' अफीम 'के उत्पादन के लिए' पापावर 'की अन्य किस्मों का भी उपयोग होने की संभावना थी, लेकिन इसे निषेधात्मक और नियामक उपायों के तहत नहीं लाया जा सका। इस स्थिति को ऊपर उल्लिखित टिप्पणी में की गई टिप्पणियों से भी स्पष्ट किया जाएगा। 64. हमारे विचार में, संसद ने जो उपाय प्रदान किया है, वह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) में उप-खंड (b) को शामिल करने के माध्यम से है, जिससे केंद्र सरकार को 'पपेवर' की किसी भी अन्य प्रजाति को अधिसूचित करने का अधिकार है, जिससे 'अफीम' या कोई अन्य 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है, जिसे 1985 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए 'अफीम खसखस' घोषित किया जाएगा।

65. हमारे विचार में, उपचार का वास्तविक कारण केंद्र सरकार को 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को शामिल करने के लिए सशक्त बनाना है।

'अफीम' के उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसे 1985 के अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि यदि यह पाया जाता है कि 'पापावर' की किसी भी प्रजाति का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी किस्म के उत्पादन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसे 1985 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए निषेधात्मक और नियामक उपायों के तहत लाया जाना चाहिए।

उद्देश्यपूर्ण व्याख्याः

66. यह हमें व्याख्या के अगले सिद्धांत से निपटने के लिए छोड़ देता है जो मामले को नियंत्रित करेगा। अब तक, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक अधिनियम को इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को इस तरह से व्याख्या करने के बजाय आगे बढ़ाता है जो अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देता है। 67. केरल राज्य के मामले में v. मथाई वर्गीज और अन्य 1 1, केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निषिद्ध नोट रखने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 489-ए के प्रावधानों की सराहना करने के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि उक्त मुद्रा

1 (1986) 4 एस. सी. सी. 746 हिमाचल प्रदेश की तारीख v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

इसका मतलब केवल भारतीय मुद्रा के नोट होंगे। यह न्यायालय, उलटते हुए

केरल उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 6. ..... यह अदालत के लिए कानून को फिर से तैयार करने के लिए नहीं है

बहुत अच्छा कारण है कि "कानून बनाने" की शक्तियाँ नहीं दी गई हैं

अदालत को दिया गया। जब अभिव्यक्ति "मुद्रा नोट" है

"भारतीय मुद्रा नोट" के अर्थ में व्याख्या की गई, इसकी चौड़ाई अभिव्यक्ति को संकुचित या कम किया जा रहा है। इसके अलावा

तथ्य यह है कि न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, क्या है

ऐसा करने से क्या उद्देश्य प्राप्त होता है? एक अदालत बना सकती है

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या ताकि इरादे को 'प्रभावी' बनाया जा सके

इसे बनाने के लिए अभिव्यक्ति "मुद्रा नोट" की सामग्री को सिकोड़ता है केवल "भारतीय मुद्रा नोट" के लिए संदर्भित, यह इरादे को विफल कर रहा है

विधायिका का आंशिक रूप से क्योंकि न्यायालय इसे विधिसम्मत बनाता है

भारतीय मुद्रा नोटों के अलावा अन्य नकली नोट। द मेनिफेस्ट

प्रावधान का उद्देश्य यह है कि नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए धोखा देने या धोखा देने से। नागरिक निपटते हैं और

[मुद्रा एन। 1 विनिमय का एक धातु या कागज माध्यम जो वर्तमान उपयोग। (कोलिन्स इंग्लिश डिक्शनरी)] (जो अभिव्यक्ति है

इसमें सिक्के के साथ-साथ कागजी मुद्रा भी शामिल है जिसे मुद्रा नोट कहा जाता है)।

यह समझ से परे है कि विधायिका को चिंतित क्यों होना चाहिए

नागरिकों को केवल सम्मान में धोखा देने या धोखा देने से बचाएं।

भारतीय मुद्रा नोटों का और मुद्रा नोटों के संबंध में नहीं

अन्य संप्रभु शक्तियों द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य कानून यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति स्वीकार करता है

मुद्रा नोट को एक वास्तविक मुद्रा दी जाती है जो

वस्तुओं या सेवाओं के लिए आदान-प्रदान किया जाता है और एक बेकार टुकड़ा नहीं

कागज जो उसे बदले में कुछ नहीं लाएगा, यह एक

नकली या जाली मुद्रा नोट। क्या विधायिका

अनजान नागरिकों की रक्षा के लिए अपने ज्ञान और चिंता में विस्तार

भारतीय मुद्रा के संबंध में धोखाधड़ी से प्रतिरक्षा

नोट लेकिन उनके ठगे जाने के संबंध में पूरी तरह से बेपरवाह दिखाता है

किसी विदेशी राज्य द्वारा जारी मुद्रा नोटों के संबंध में या संप्रभु शक्ति?

" 9

[जोर दिया गया]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

68. इस न्यायालय का मानना है कि प्रावधान का स्पष्ट उद्देश्य

यह था कि नागरिकों को ठगे जाने या ठगे जाने से बचाया जाना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या कर सकता है ताकि विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाया जा सके न कि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से विधायकों के इरादे को विफल करने के लिए एक उद्देश्यहीन। यह आयोजित किया गया

कि, यदि अदालत 'मुद्रा नोट' अभिव्यक्ति को केवल 'भारतीय मुद्रा नोट' तक सीमित करती है, तो यह विधायिका के इरादे को विफल कर देगा क्योंकि अदालत भारतीय मुद्रा नोटों के अलावा अन्य नकली नोट रखने को वैध बनाती है।

69. बलदेव कृष्ण साही बनाम के मामले में। जहाजरानी निगम

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 630 के प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े। यह था।

अदालत के समक्ष तर्क दिया गया कि उक्त धारा में प्रयुक्त "अधिकारी" या "कर्मचारी" शब्द मौजूदा अधिकारियों या कर्मचारियों पर लागू होगा न कि पिछले अधिकारियों और कर्मचारियों पर। उक्त तर्क को नकारते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

" 7. धारा 630 में निहित लाभकारी प्रावधान निस्संदेह दंडात्मक है, जिसे विधायिका द्वारा कंपनी की संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से जानबूझकर अधिनियमित किया गया है (ए) जहां कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी गलत तरीके से कंपनी की संपत्ति का कब्जा प्राप्त करता है, या (बी)

जहाँ ऐसी किसी संपत्ति के कब्जे में रखा गया हो

अपनी नौकरी के दौरान, गलत तरीके से रोकता है

उसकी नौकरी की समाप्ति के बाद उस पर अधिकार। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह एक व्यापक और उदार निर्माण करे विधान के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने का प्रावधान

जो शरारत को दबा देगा और उपचार को आगे बढ़ाएगा।

8. अधिनियम की धारा 630 जो गलत तरीके से रोकती है कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कंपनी की किसी भी संपत्ति का दंडात्मक अपराध, भाषा की अर्थव्यवस्था की विशेषता है जो अधिनियम के प्रारूपक की विशेषता है। यह खंड दो भागों में है। उप-धारा (1) खंड (ए) और (बी) द्वारा दो विशिष्ट और अलग-अलग अपराधों का निर्माण करती है। इन सबसे पहले एक है

खंड (क) द्वारा अनुध्यात, अर्थात्, जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी

अपने रोजगार के दौरान कंपनी, जिसमें वह है हकदार नहीं है। आम तौर पर केवल वर्तमान अधिकारी और कर्मचारी ही होते हैं।

1 2 (1987) 4 एस. सी. सी. 361 हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम। निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

जो किसी कंपनी की किसी भी संपत्ति पर कब्जा सुरक्षित कर सकता है। यह है।

बर्खास्तगी के बाद ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के लिए भी संभव

गलत तरीके से इस तरह के किसी भी अधिकार को छीनने के लिए उसकी नौकरी

संपत्ति। यह खंड (ए) का कार्य है और हालांकि यह मुख्य रूप से

मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों को संदर्भित करता है, यह भी ले सकता है

पूर्व अधिकारी और कर्मचारी। इसके विपरीत, खंड (ख) में विचार किया गया है

एक मामला जहाँ किसी कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी के पास कोई

उसके कब्जे में एक कंपनी की संपत्ति गलत तरीके से उसे रोकती है।

या जानबूझकर इसे व्यक्त किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों पर लागू करता है या लेखों में निर्देशित और अधिनियम द्वारा अधिकृत। हो सकता है कि

कि एक अधिकारी या कर्मचारी ने कानूनी रूप से कब्जा प्राप्त किया होगा

अपनी नौकरी की समाप्ति के बाद इसे गलत तरीके से रोकता है। यह खंड (बी) के कार्यों में से एक प्रतीत होता है। यह होगा

इस बात पर ध्यान दिया कि खंड (ख) भी इसे अपराध बनाता है यदि कोई अधिकारी या

कंपनी की कोई संपत्ति रखने वाले कंपनी के कर्मचारी

उसका अधिकार जानबूझकर उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए लागू होता है

यह मुख्य रूप से वर्तमान अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। और इसमें पूर्व अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। वहाँ है।

इसलिए इस शब्द को प्रतिबंधात्मक अर्थ देने का कोई वारंट नहीं है।

" धारा की उप-धारा (1) में उपस्थित अधिकारी या कर्मचारी 630 अधिनियम से। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि खंड (ए) और (बी) हैं

"या" शब्द द्वारा अलग किया गया है और इसलिए स्पष्ट रूप से असंगत हैं।

[जोर दिया गया]

70. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था

"अधिकारी या कर्मचारी" शब्द के अर्थ को मौजूदा अधिकारियों या कर्मचारियों तक सीमित करना। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी स्थिति जहाँ एक अधिकारी या

यद्यपि कर्मचारी ने अपने नियोजन के दौरान ऐसी संपत्ति का कब्जा कानूनी रूप से प्राप्त कर लिया है, लेकिन नियोजन की समाप्ति के बाद गलत तरीके से उसका कब्जा रोक लेता है, फिर भी वह उक्त धारा के दायरे में आएगा। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधान के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान पर एक व्यापक और उदार निर्माण करे। वह व्याख्या जो शरारत को दबाती है और उपचार को आगे बढ़ाती है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

71. यद्यपि संजय दत्त बनाम के मामले में यह न्यायालय। राज्य के माध्यम से

सी. बी. आई., बॉम्बे (II) 1 3 ने अभिनिर्धारित किया है कि दंडात्मक क़ानून के मामले में, जब 13 (1994) 5 एस. सी. सी. 410 [2022] 11 एस. सी. आर.

उचित और संभावित निर्माण संभव हैं, जो आपको अभियुक्तों में से एक पर निर्भर करता है, उसे प्राथमिकता दी जा सकती है, यह अभी भी उक्त संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए प्रासंगिक होगा।

इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है और मुकदमा चलाया जा रहा है टाडा अधिनियम के तहत आम तौर पर यह दिखाने का अवसर होना चाहिए कि वह शासित व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है

टाडा अधिनियम द्वारा। इस तरह का पाठ्यक्रम उन व्यक्तियों को इसके दायरे से बाहर करने की अनुमति देगा जो इसके दायरे में आने का इरादा नहीं रखते हैं।

यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति जो इसके प्रावधानों द्वारा शासित होना चाहता है, टाडा अधिनियम के प्रावधानों से बच नहीं पाएगा, जो अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य है। अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देते हुए इस तरह का पाठ्यक्रम इसके दुरुपयोग या दुरुपयोग को भी रोकेगा। टाडा अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग के आंकड़ों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी इस संबंध में व्यक्त की गई चिंता के आधार पर इस तरह का खतरा काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविक है।

15. यह अदालतों का कर्तव्य है कि वे एक निर्माण को स्वीकार करें जो

कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देता है और इसे भी रोकता है

संभावित दुरुपयोग भले ही एक के दुरुपयोग की केवल संभावना हो

प्रावधान इसकी संवैधानिकता या निर्माण को प्रभावित नहीं करता है।

निरंतर सतर्कता और निगरानी द्वारा दुर्व्यवहार की जाँच की जानी चाहिए

अलग-अलग मामले और यह मामलों की जांच करके किया जा सकता है

उच्च स्तर पर एक उपयुक्त मशीनरी। बताया जा रहा है कि कुछ

राज्य, कर्तार सिंह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद [(1994) 3 एससीसी 569: 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 899], उच्चाधिकार प्राप्त समितियाँ हैं

ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए गठन किया गया है। यह आशा की जाती है कि

देश भर के सभी राज्यों में कार्रवाई की जाएगी। लोग

राष्ट्रीय मानवाधिकारों सहित दुर्व्यवहार की घटनाओं से अवगत आयोग, विवरण के साथ ऐसे मामलों की रिपोर्ट करके सहायता कर सकता है

शीघ्र और प्रभावी उपचार के लिए उस यंत्र को। लेकिन यह है कि कानून में इसकी संवैधानिकता पर संदेह करने या अधिकार में बदलाव करने का कोई कारण नहीं है।

निर्माण जब संसद द्वारा अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है

आतंकवादी और विघटनकारी से निपटने और रोकने के लिए ऐसा कानून

देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ।

[जोर दिया गया]

72. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि

अदालतों का कर्तव्य है कि वे ऐसे निर्माण को स्वीकार करें जो उद्देश्य को बढ़ावा देता है

कानून। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी प्रावधान से निर्माण किया गया था

ई अधिनियम अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए ताकि

अपराध में शामिल व्यक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए।

73. एम. पी. और अन्य राज्यों के मामले में v. राम सिंह (ऊपर),

न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 10. इस अधिनियम का उद्देश्य प्रभावी प्रावधान करना था -

जनता के बीच रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की रोकथाम

सेवक। यह एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। लोक सेवकों का और इस तरह से उदारता से समझा जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है

अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए। अंतर्निहित वस्तु से निपटना

आर. एस. नायक बनाम में इस न्यायालय को अधिनियमित करें। ए. आर. अंतुले [(1984) 2 एस. सी. सी 183

: 1984 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 172] ने कहाः (एस. सी. सी पी. 200, पैरा 18)

" 18. 1947 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था, जैसा कि इसके लंबे शीर्षक से पता चलता है,

रिश्वतखोरी की रोकथाम के लिए अधिक प्रभावी प्रावधान करना।

और भ्रष्टाचार। निर्विवाद रूप से, इसलिए, के प्रावधान

अधिनियम को अदालत [2022] 11 एस. सी. आर. के हाथों इस तरह का निर्माण प्राप्त करना चाहिए।

जैसा कि अंतर्निहित उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा

कार्य करें और किसी भी तरह से इसे पराजित न करें। यदि कानून के शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, तो प्रावधान में उपयोग किए गए शब्दों के स्वाभाविक अर्थ को प्रभावी बनाना अदालत का सबसे स्पष्ट कर्तव्य है। निर्माण का सवाल केवल अस्पष्टता की स्थिति में उत्पन्न होता है या क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों का सादा अर्थ आत्म-पराजय होगा। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि जब कानून बनाया गया था तो क्या गड़बड़ी थी और जिसे हटाने के लिए विधायिका ने कानून बनाया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून के प्रावधान को समग्र रूप से समझकर अस्पष्टता को दूर करने के लिए विधायिका की मंशा का पता लगाने का अधिकार है। निर्माण का यह नियम इतना सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि इसे पूर्ववर्ती द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्माण के इस नियम को अपनाना, जब भी निर्माण का प्रश्न अस्पष्टता पर उत्पन्न होता है या जहां किसी प्रावधान के बारे में दो विचार संभव हैं, तो अदालत का कर्तव्य होगा कि वह उस निर्माण को अपनाए जो अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा, अर्थात्, रिश्वत और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए प्रभावी प्रावधान करना और

किसी भी तरह से इसे पराजित न करें। "

11. प्रक्रिया संबंधी विलम्ब और कानून की तकनीकीताएँ नहीं होनी चाहिए

अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल करने की अनुमति दी गई। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय और इसके तहत मामलों का निर्णय लेते समय समग्र लोक हित और सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

74. यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, जिसका उद्देश्य लोक सेवकों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, का उदारतापूर्वक अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि इसके उद्देश्य को समाप्त किया जा सके। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की विभिन्न मान्यताओं की व्याख्या करते समय और इसके तहत मामलों का निर्णय लेते समय समग्र लोक हित और 1 उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

75. बलराम कुमावत बनाम के मामले में। भारत संघ और

इस न्यायालय को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रयुक्त 'हाथीदांत' के अर्थ पर विचार करने का अवसर मिला था। अदालत ने

वेद इस प्रकार हैः

" 23. इसके अलावा, एक दंडात्मक क़ानून के संबंध में भी कोई संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक संरचना हमेशा नहीं हो सकती है

3) 7 एस. सी. सी. 628 हिमाचल प्रदेश की तारीख v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

प्रभाव दिया। कानून की व्याख्या अपराध के विषय और उस कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। कानून का उद्देश्य अपराधी को कानून के जाल से बाहर निकलने की अनुमति देना नहीं है। आपराधिक न्यायशास्त्र

ऐसा नहीं कहता।

24. .....

25. एक क़ानून को एक व्यवहार्य साधन के रूप में माना जाना चाहिए। कानून का एक सर्वविदित सिद्धांत है। में।

तिनसुकिया विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम। असम राज्य [(1989) 3 एस. सी. सी. 709 ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 123] इस न्यायालय ने कानून को इस प्रकार कहाः (एस. सी. सी पी. 754 , पैरा 118-120)

" 118. अदालतें किसी भी निर्माण के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक क़ानून को निरर्थकता में बदल देता है। कानून के प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि इसे प्रभावी और प्रभावी बनाया जा सके, इस सिद्धांत पर कि 'यू. टी. आर. एस. मैजिस वल्लेत क्काम पेरेत'। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई क़ानून पूरी तरह से अस्पष्ट है और उसकी भाषा पूरी तरह से अस्पष्ट है

जटिल और पूरी तरह से अर्थहीन, क़ानून को अस्पष्टता के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है। यह न्यायिक समीक्षा में नहीं है

मनमानेपन या अनुचितता के लिए कानून का परीक्षण अनुच्छेद 14; लेकिन एक निर्माण न्यायालय, जो एक क़ानून की भाषा से संबंधित है, यह पता लगाने के लिए क्या करता है, और

कानून के उस अर्थ और उद्देश्य के अनुसार जो विधायिका ने इसके लिए अभिप्रेत किया था। मैनचेस्टर शिप कैनाल कं. वी.

मैनचेस्टर रेसकोर्स कं. [(1900) 2 सीएच 352 69 एलजेसीएच

850 : 83 एल. टी. 274 (सी. ए.)] जे. फारवेल ने कहाः (पीपी। 360-61)

' जब तक शब्द इतने पूरी तरह से निरर्थक नहीं थे कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे कुछ अर्थ खोजने के लिए बाध्य होना चाहिए और उन्हें अनिश्चितता के लिए शून्य घोषित नहीं करना चाहिए।

119. फॉसेट प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम। बकिंघम काउंटी

परिषद [(1960) 3 सभी ई. आर. 503: (1960) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 831 (एच. एल.)] लॉर्ड डेनिंग ने फारवेल के कथन को मंजूरी देते हुए जे. ने कहाः (सभी ई. आर. पी. 516)

' लेकिन जब एक क़ानून का कुछ अर्थ होता है, भले ही वह

अस्पष्ट, या कई अर्थ, भले ही उनके बीच चयन करने के लिए बहुत कम है, अदालतों को यह कहना होगा कि क़ानून का क्या अर्थ है, बजाय इसके कि इसे शून्य के रूप में अस्वीकार कर दिया जाए। '

120. इसलिए, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह जो कुछ भी कर सकती है वह करे।

कानून, यह जानते हुए कि कानून क्रियाशील होने के लिए हैं

और अयोग्य नहीं है और असंभवता से कम कुछ भी अनुमति नहीं देना चाहिए

व्हिटनी वी। आई. आर. सी. [1926 एसी 37: 95 एलजेकेबी 165: 134 एलटी 98
(एच. एल.)] लॉर्ड डुनेडिन ने कहाः (एसी पी। 52)

' एक क़ानून को व्यवहार्य होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसकी व्याख्या

अदालत द्वारा उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए, जब तक कि महत्वपूर्ण चूक न हो

या स्पष्ट दिशा उस लक्ष्य को अप्राप्य बना देती है।

26. इसलिए अदालतें उस निर्माण को अस्वीकार कर देंगी जो

विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल करें भले ही वहाँ हो सकता है

उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो। [सैल्मन वी. देखें।

डनकॉम्ब [(1886) 11 एसी 627: 55 एलजेपीसी 69: 55 एलटी 446 (पीसी)]

(पी पर एसी। 634)।] कानून की निरर्थकता को कम करने से बचा जाएगा। और ऐसे मामले में जहां विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है

प्रभावी होने पर, अदालतें बोल्ड निर्माण को स्वीकार करेंगी एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से।

.....

76. उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दंडात्मक कानून के संबंध में भी, कोई संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण,

शाब्दिक और शाब्दिक संरचना को हमेशा प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और व्याख्या को अपराध की विषय वस्तु और कानून के उद्देश्य के संबंध में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। वह व्याख्या जो विधायिका के स्पष्ट इरादे को पराजित करती है, भले ही उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो, उसे खारिज करना होगा। यह माना गया है कि लाने के उद्देश्य से स्वर्ण निर्माण

एक प्रभावी परिणाम को स्वीकार करना होगा।

77. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य के मामले में v.

प्रवर्तन निदेशालय और अन्य 1 5, इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफ. ई. आर. ए.), 1973 की धारा 56 (1) के तहत कंपनी के खिलाफ शुरू किया गया क्योंकि एफ. ई. आर. ए. अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा कारावास है जो जुर्माने के साथ छह महीने से कम नहीं होगी। उसमें अपीलार्थी की ओर से यह तर्क कि कानून के दंडात्मक प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है, बहुमत के विचार में निम्नानुसार माना गया थाः

1 5 (2005) 4 एस. सी. सी. 530 हिमाचल प्रदेश की तिथि v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

" 23. अपीलार्थी के वकील ने तर्क दिया कि दंड कानून में प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। तोलाराम रेलुमल बनाम का संदर्भ दिया गया था। बॉम्बे राज्य [(1955) 1 एससीआर

158 : 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 1333], पी. 164 और गिरधारी लाल गुप्ता बनाम। डी. एच. मेहता [(1971) 3 एससीसी 189: 1971 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 279] यह सच है कि सभी दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से इस अर्थ में अर्थ लगाया जाना चाहिए कि अदालत को यह देखना चाहिए कि अपराध के रूप में आरोपित वस्तु उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर है और शब्दों को किसी भी धारणा पर दबाव नहीं डालना चाहिए कि यह बात इतनी स्पष्ट रूप से शरारत के भीतर है कि इसे शामिल करने का इरादा किया गया होगा और अगर सोचा गया होता तो इसे शामिल किया जाता। सभी दंडनीय

अन्य सभी कानूनों की तरह प्रावधानों का उचित रूप से विधायी इरादे के अनुसार अर्थ लगाया जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम में व्यक्त किया गया है। यहाँ, निगमित निकायों पर उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने का विधायी इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है और क़ानून का उद्देश्य कभी भी उन्हें मुकदमा चलाने से दोषमुक्त करना नहीं था। यह सामान्य ज्ञान के लिए सरासर हिंसा है कि

विधायिका का उद्देश्य कॉर्पोरेट निकायों को छोटे और मूर्खतापूर्ण अपराधों के लिए दंडित करना और बड़े और गंभीर आर्थिक अपराधों के लिए अभियोजन की प्रतिरक्षा बढ़ाना था। 24. एक सख्त निर्माण और एक अधिक स्वतंत्र निर्माण के बीच का अंतर आधुनिक समय में गायब हो गया है और अब ज्यादातर सवाल यह है कि "क़ानून का सही निर्माण क्या है?" कानून पर क्रेज़ में एक मार्ग, 7 वीं संस्करण। निम्नलिखित प्रभाव को पढ़ता हैः

" सभी वर्गों के कानूनों के संबंध में एक सख्त और एक उदार निर्माण के बीच का अंतर लगभग गायब हो गया है, ताकि सभी क़ानून, चाहे वे दंडात्मक हों या नहीं, अब काफी हद तक एक ही नियमों द्वारा माने जाते हैं। सभी आधुनिक अधिनियम न्यायसंगत और साथ ही कानूनी सिद्धांतों के संबंध में बनाए गए हैं। ' एक सौ साल पहले, 'अदालत ने ल्योंस के मामले में कहा [ल्योंस बनाम। ल्योंस, 1858 बेल सीसी 38: 169 ई. आर. 1158], 'क़ानूनों को पूरी तरह से सटीक होना आवश्यक था और सहारा लेने के लिए उचित नहीं था

अधिनियम का निर्माण, और इस तरह अपराधी अक्सर थे

भागने दिया। संसद के अधिनियमों को लागू करने का यह वर्तमान तरीका नहीं है। इनका अब विधानमंडल के सही अर्थ और वास्तविक इरादे के संदर्भ में अर्थ लगाया जाता है।

पी. 532 उसी पुस्तक में सेडगविक की टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया हैः

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" इस सिद्धांत का अधिक सही संस्करण यह प्रतीत होता है कि

इस वर्ग की विधियों का उचित रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए।

विधायिका के इरादे के अनुसार लागू किया गया, बिना एक तरफ अनुचित गंभीरता या अनुचित नरमी

दूसरी ओर, संदेह के मामलों में अदालतें दया की ओर झुकती हैं।

25. इसलिए सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है?

विधायिका। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सभी वैधानिक अपराध, कंपनी पर "व्यक्ति" के रूप में भी मुकदमा चलाया जा सकता है

इन अधिनियमों में परिभाषित "कंपनी, या निगम या अन्य" शामिल हैं।

निगमित शरीर "।

[जोर दिया गया]

78. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ ने दोहराया है कि

अन्य कानूनों के अन्य सभी प्रावधानों की तरह दंडात्मक प्रावधानों का अर्थ विधायी इरादे के अनुसार लगाया जाना चाहिए जैसा कि अधिनियम में व्यक्त किया गया है।

79. हाल ही में, के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ

ब्यूरो 1 7, इस प्रभाव के लिए कि, जब कोई मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ सजा देने के उद्देश्य से एक या अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ मिश्रित पाया जाता है, तो यह मादक दवा की सामग्री है या जिस मनोदैहिक पदार्थ को ध्यान में रखा जाएगा, न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 10.1 . प्रवर्तन निदेशालय बनाम। दीपक महाजन

440 : 1994 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 785], इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि प्रत्येक कानून न्याय के आगे के उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, लेकिन न्याय को हतोत्साहित करने के लिए नहीं

फिर भी विधायिका को हल करने के लिए बैठने के लिए नहीं कहा जा सकता है इसके इरादे और भावना के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ

कानून की उदारता से व्याख्या करके कानून। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने (एस. सी. सी. पीपी. में) भी उद्धृत किया है। 453-54 , पैरा 25) द

क़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल में निम्नलिखित परिच्छेद, 10 वां

एडन। पी। 229 :

16 (2020) 20 एससीसी 272

17 (2008) 5 एस. सी. सी. 161 हिमाचल प्रदेश राज्य v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

और व्याकरणिक संरचना, एक स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है अधिनियम के स्पष्ट उद्देश्य का, या कुछ के लिए

असुविधा या बेतुकी, कठिनाई या अन्याय, संभवतः इरादा नहीं है, उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो संशोधित करता है

शब्दों का अर्थ, और यहाँ तक कि इसकी संरचना

वाक्य। ..... जहाँ किसी क़ानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट हैं, इसे ड्राफ्ट्समैन द्वारा शून्य नहीं किया जाना चाहिए

कानून की असंवेदनशीलता या अज्ञानता, सिवाय किसी मामले के

आवश्यकता, या उपयोग की गई भाषा की पूर्ण अकर्षणशीलता। "

इसके बाद, यह आगे देखा जाता है कि

विधायी इरादे से, अदालतों को ध्यान में रखने की अनुमति है प्रत्यक्ष उद्देश्य और उद्देश्य और वास्तविक विधायी आशय।

अन्यथा, शब्दों की एक नंगी यांत्रिक व्याख्या और

की अवधारणा के बिना विधायी इरादे का अनुप्रयोग

उद्देश्य और उद्देश्य विधायिका को निरर्थक बना देंगे। यह है।

आगे यह देखा गया कि दी गई परिस्थितियों में, इसकी अनुमति है न्यायालयों के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण रखने और विधायी पर गौर करने के लिए

इरादा और कभी-कभी पीछे जाना भी आवश्यक हो सकता है

शब्द और अधिनियमन और अन्य कारकों को ध्यान में रखना

विधायी इरादे और उद्देश्य को प्रभावी बनाना और

अधिनियम की भावना ताकि कोई बेतुकी या व्यावहारिक न हो

असुविधा हो सकती है और विधायी अभ्यास और इसका दायरा और वस्तु व्यर्थ नहीं हो सकती है।

[जोर दिया गया]

80. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह एक स्थिर सिद्धांत से अधिक है

कानून कि, क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, अदालत को एक ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जो क़ानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।

निष्कर्षः

81. जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, क्योंकि कई कमियाँ हैं

एक नया कानून बनाने के लिए आवश्यक पाया गया क्योंकि पहले के तीन अधिनियमों को पारित करने के बाद, एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जबरदस्त विकास हुआ और नशीले पदार्थों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विशाल निकाय था नियंत्रण विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के माध्यम से विकसित हुआ था। भारत सरकार इन संधियों और [2022] 11 एस. सी. आर. में एक पक्ष रही थी।

ऐसे सम्मेलन जिनमें कई दायित्व शामिल थे जो पुराने अधिनियमों के तहत शामिल नहीं थे या केवल आंशिक रूप से शामिल थे। यह भी देखा गया कि पहले के अधिनियमों की योजना तस्करों के सुव्यवस्थित गिरोहों की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त निवारक नहीं थी। यह भी देखा गया कि पुराने अधिनियमों के तहत प्रदान किया गया जुर्माना अपर्याप्त था। यह ध्यान में रखते हुए कि देश ने पिछले कई वर्षों से,

नए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य मादक पदार्थों और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे पर अंकुश लगाना था। इसलिए, अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाली व्याख्या को पांडित्यपूर्ण और यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

82. जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, इसे पहले के अधिनियमों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैज्ञानिक अध्ययनों के तहत अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी

कि 'पापावर सोम्निफेरम एल' पौधा 'अफीम' के उत्पादन का मुख्य स्रोत था। 1878 के अधिनियम और 1930 के अधिनियम ने भी इस स्थिति को मान्यता दी थी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी इसे मान्यता दी गई थी। हालांकि 1953 के प्रोटोकॉल में पहली बार 'पापावर सोम्निफेरम एल' के अलावा, 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति, जिसका उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, को 'अफीम' की परिभाषा में शामिल किया गया था, 1961 और 1988 के बाद के सम्मेलनों ने फिर से 'अफीम खसखस' को 'पापावर सोम्निफेरम एल' के पौधे के रूप में परिभाषित किया। राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन से यह स्थापित होता है कि सोम्निफेरम एल 'में' मॉर्फिन 'और' मेकोनिक एसिड 'होता है। यदि विवादित निर्णय में अपनाए गए निर्माण को स्वीकार किया जाना है, तो, भले ही यह पाया जाता है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में यह स्थापित किया गया है कि निषिद्ध वस्तु में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' है, किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि यह आगे स्थापित नहीं किया जाता है कि

निषिद्ध सामग्री की उत्पत्ति 'पापावर सोम्निफेरम एल' में होती है।

83. रासायनिक परीक्षक श्री कपिल शर्मा न्यायालय में उपस्थित थे। उन्होंने दोहराया कि 'मॉर्फिन टेस्ट' और 'मेकोनिक टेस्ट' दुनिया भर में केवल दो परीक्षण हैं जो यह स्थापित करने के लिए उपलब्ध हैं कि प्रतिबंधित पदार्थ

सामग्री 'पापावर सोम्निफेरम एल' से ली गई है। जैसा कि यहाँ पहले ही चर्चा की जा चुकी है, 1985 के अधिनियम के अधिनियमन से पहले, यह केवल 'पापावर सोम्निफेरम एल' संयंत्र था जिसे 1878 और 1930 के अधिनियमों की परिभाषा में शामिल किया गया था। 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) के आधार पर, इसे बरकरार रखा गया है।

हालांकि, हिमाचल प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए v. निर्मल कौर @निम्मो और अन्य [बी. आर. गवई, जे.]

कि यह दिखाने के लिए कुछ सामग्री थी कि 'पापावर' की कुछ अन्य प्रजातियों का उपयोग 'अफीम' के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है, विधायिका द्वारा

पर्याप्त सावधानी, 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) में उप-खंड (बी) भी जोड़ा गया ताकि केंद्र सरकार ऐसी प्रजाति को अधिसूचित कर सके जिससे 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सके। विधायी इरादा स्पष्ट है कि 1985 के अधिनियम ने 'अफीम खसखस' की परिभाषा में 'पापावर सोम्निफेरम एल' की प्रजातियों को बनाए रखने के अलावा, केंद्र सरकार को 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को शामिल करने में सक्षम बनाया, जिससे 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सके। यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा की जानी है। विधायी इरादा 'पापावर' की किसी भी अन्य प्रजाति को लाना है जिसका उपयोग 1985 के अधिनियम के निषेधात्मक और नियामक प्रावधानों के भीतर 'अफीम' के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

84. यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना है, तो

व्यक्ति जो 1985 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है और एक निषिद्ध सामग्री से निपट रहा है जो 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' को शामिल करने के लिए रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट, 1985 के अधिनियम के कड़े प्रावधानों से बच जाएगी। कहा जा सकता है

विधायिका का इरादा कभी नहीं रहा है। हमारे विचार में, यदि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाना है, तो यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा और इसके उद्देश्य को विफल कर देगा। 85. हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आलोक में हमें गुजरात उच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों को भी संदर्भित करना आवश्यक नहीं लगता है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।

86. जहाँ तक अमरसिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है।

रामजिभाई बारोट (ऊपर) का सवाल है

इस न्यायालय के समक्ष विचार यह था कि क्या उच्च न्यायालय दोनों अभियुक्तों से बरामद किए गए उल्लंघनकारी पदार्थों की कुल मात्रा को संयुक्त रूप से लेना उचित था और यह अभिनिर्धारित करता था कि उक्त मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से अधिक थी, जो 1985 के अधिनियम की धारा 21 (सी) के तहत दंड की गारंटी देती है। उक्त मामले में, एफएसएल द्वारा दी गई राय यह थी कि यह 'अफीम' थी जैसा कि 1985 के अधिनियम में वर्णित है। साक्ष्य से अदालत ने पाया कि अपीलार्थी से बरामद पदार्थ में 2.8 प्रतिशत एनहाइड्राइड मॉर्फिन था। अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 (xvi) (e) के अर्थ के भीतर 'अफीम व्युत्पन्न' के बराबर होगा। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें अपीलार्थी से जो बरामद किया गया था, वह [2022] 11 एस. सी. आर. की धारा 2 (xi) के अर्थ के भीतर 'निर्मित दवा' थी।

87. जहां तक बैद्यनाथ मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है, जिसका संदर्भ श्री वैद्यनाथ मिश्रा ने दिया है। परमेश्वर, संबंधित हैं, इस न्यायालय ने, हरजित सिंह (उपरोक्त) के मामले में, स्वयं यह अभिनिर्धारित किया है कि उक्त मामले का निर्णय अफीम अधिनियम के तहत किया गया था, न कि 1985 के अधिनियम के तहत। यह माना गया है कि निषिद्ध सामग्री का रासायनिक विश्लेषण उनके खिलाफ मामला साबित करने के लिए आवश्यक है।

1985 के अधिनियम के तहत अभियुक्त।

88. इसलिए हमारा विचार है कि रासायनिक परीक्षक के निर्णय के बाद भी उच्च न्यायालय का यह निर्णय उचित नहीं था। रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि प्रतिबंधित पदार्थ में 'मेकोनिक एसिड' होता है और

' मॉर्फिन ', जब तक कि यह स्थापित नहीं किया गया था कि यह' पैपर सोम्निफेरम एल 'की प्रजाति से लिया गया था, धारा 15 के तहत दोषसिद्धि

1985 के अधिनियम को कायम नहीं रखा जा सका।

89. जैसा कि पहले ही यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि जब्त की गई सामग्री में 'मेकोनिक एसिड' और 'मॉर्फिन' है, यह होगा यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उपखंड (ए) में परिभाषित पौधे 'पापावर सोम्निफेरम एल' से लिया गया है।

90. हम आगे पाते हैं कि उच्च न्यायालय का यह कहना भी उचित नहीं था कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट में, वैकल्पिक रूप से, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि जब्त की गई सामग्री 'पापावर' की किसी अन्य प्रजाति का हिस्सा है।

जिनसे 'अफीम' या कोई भी 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है और जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1985 के अधिनियम के उद्देश्य से 'अफीम' के रूप में अधिसूचित किया गया है। हम यह समझने में विफल हैं कि एक रासायनिक परीक्षक से कैसे पूछा जा सकता है कि क्या जब्त की गई सामग्री किसी भी रसायन का हिस्सा थी। 'पापावर' की अन्य प्रजातियाँ जिनमें से 'अफीम' या कोई अन्य 'फेनेंथ्रीन अल्कालॉइड' निकाला जा सकता है, जब 'पापावर' की ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1985 के अधिनियम के उद्देश्य से 'अफीम खसखस' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

91. परिणामस्वरूप, हमारा मानना है कि एक बार जब कोई रासायनिक परीक्षक यह स्थापित कर लेता है कि जब्त 'खसखस का पुआल' 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की सामग्री के लिए एक सकारात्मक परीक्षण का संकेत देता है, तो यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि यह 1985 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (xvii) के उप-खंड (ए) के अंतर्गत आता है और इसे स्थापित करने के लिए आगे किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। जब्त की गई सामग्री 'पापावर सोम्निफेरम एल' का एक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि जब्त किए गए 'खसखस के भूसे' में 'मॉर्फिन' और 'मेकोनिक एसिड' की सामग्री पॉजिटिव पाई जाती है, तो प्रावधानों के तहत आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

1985 के अधिनियम की धारा 15।

92. फैसला देने से पहले, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि विद्वान न्याय मित्र श्री परमेश्वर और विद्वान ए. ए. जी. श्री मुखर्जी ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक सामग्री पर शोध करने में बहुत मेहनत की है। हम श्री परमेश्वर और श्री मुखर्जी दोनों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं। हमें यह भी दर्ज करना चाहिए कि श्री परमेश्वर ने वर्तमान मुद्दे के दोनों पक्षों को हमारे सामने रखा है, एक अभियुक्त के दृष्टिकोण से और दूसरा अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से।

93. जहाँ तक वर्तमान अपील का संबंध है, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति केवल उपरोक्त आधार पर दी जाती है।

94. प्रत्यर्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज जैन प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए प्रत्यर्थी (ओं)-अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी। 95. हम सजा को तब तक निलंबित करते हैं जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला नहीं हो जाता।

96. उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमति है।

97. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)